खण्ड-442, अंक-3
सोमवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1924
(12 अगस्त, 2002 ई0)

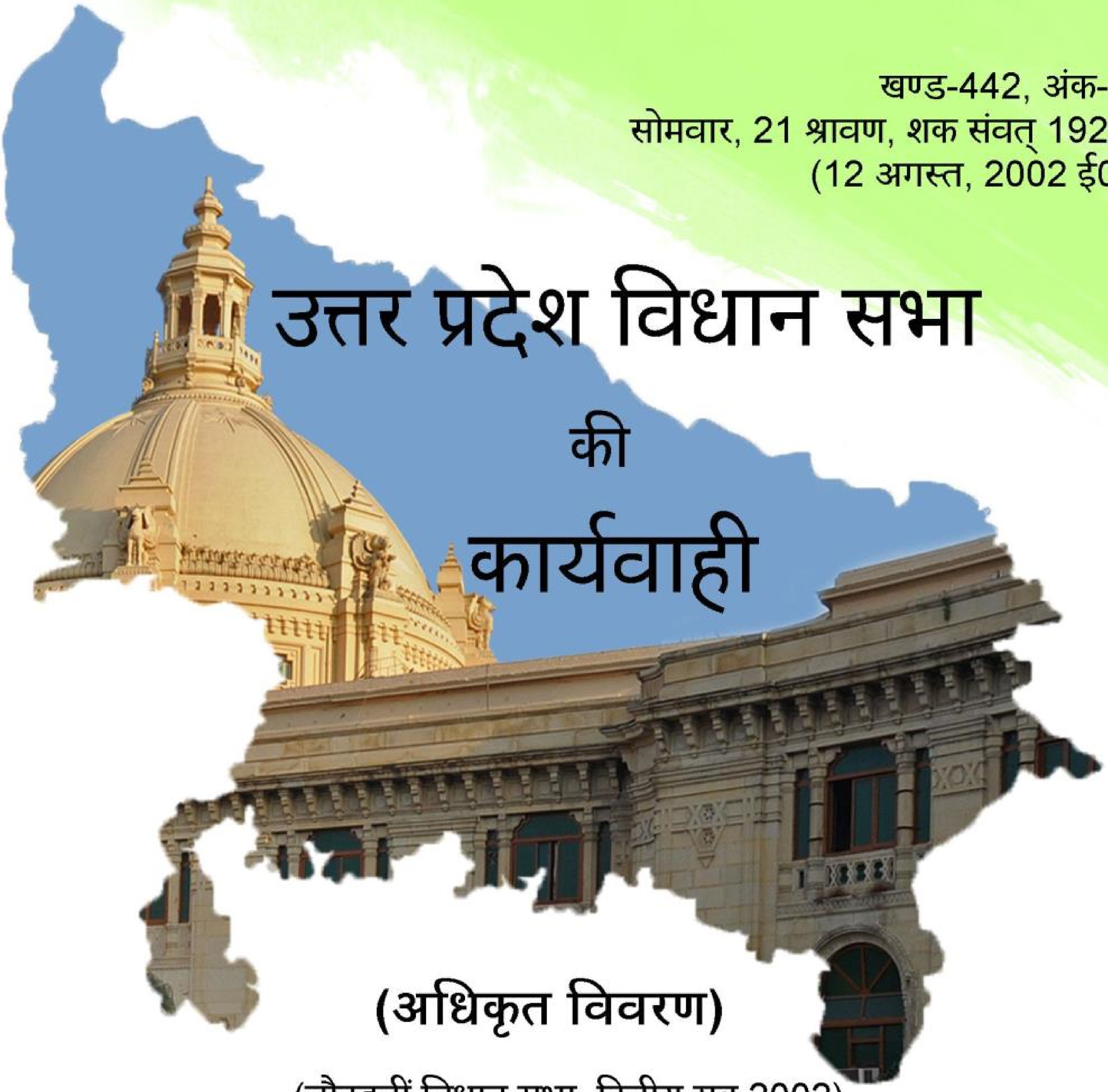

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 442 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की मांग	1–2
प्रश्नोत्तर	2–55
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	56
गोण्डा मुख्यालय पर स्थापित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को उच्चीकृत करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	56
आजमगढ़ क्षेत्रान्तर्गत कन्धरापुर आदि क्षेत्रों में फीडरों की हालत सुधारने एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	56–57
जनपद बस्ती में गौरा चौकी से चन्द्रदीप घाट तक की सड़क पर लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद शाहजहांपुर के ग्राम नियामतपुर–सिउलक के बीच नदी पर पुल बनवाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	58
जनपद फिरोजाबाद में फर्जी पट्टों को निरस्त कर पट्टा खतौनी में दर्ज करने वाले कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ..	58
जनपद हरदोई के कतिपय थाना क्षेत्रों में मुहनोचवा के आतंक से निजात दिलाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	58–59
सोहास–उस्का मार्ग पर स्थित जर्जर लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	59
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	59
नियम–311 की, नियम–56 में परिवर्तित सूचनाएं	59
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित) ...	60
कार्य-स्थगन की सूचनाएं	60–61
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	61
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन... ...	61
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	61–62
नस्थियां	63–74

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 12 अगस्त, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

1–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
2–अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
3–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
4–अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
5–अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
6–अनुराधा चौधरी, सुश्री — मुजफ्फरनगर
7–अमरमणि, श्री — [illegible]गंज
8–आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
9–उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
10–उदयभान सिंह, श्री — वाराणसी
11–ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
12–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
13–ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
14–कमलेश कुमार पाठक, श्री — कानपुर देहात
15–कृष्णा पासवान, सुश्री — फतेहपुर
16–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
17–चन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
18–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
19–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
20–नरेन्द्र सिंह यादव श्री — फर्रुखाबाद
21–परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
22–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
23–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
24–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
25–बाबू राम, एम०काम०, श्री — जालौन
26–मदन भैया, श्री — बागपत
27–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री — आगरा
28–मुस्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
29–मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
30–रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
31–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — कुशीनगर/पडरौना
32–राजकुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
33–राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
34–राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
35–राधा मोहन दास अग्रवाल, डा० — गोरखपुर
36–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
37–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
38–राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
39–रेवती रमण सिंह, कुं० — इलाहाबाद
40–लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
41–विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदास-नगर भदोही
42–विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
43–वीरेन्द्र सिंह, श्री — बरेली
44–वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
45–वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री — ललितपुर
46–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
47–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
48–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
49–हरि ओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
50–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
51–हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 12 अगस्त, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की मांग

(विपक्ष के सदस्यगण खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं मद संख्या–1 ले रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, इस प्रदेश में अकाल छाया हुआ है लेकिन यह सरकार सो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें । सदन को चलने दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, प्रदेश की जनता भुखमरी की शिकार हो रही है । इससे गम्भीर और कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है ।

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें । अपने नेता को भी आप नहीं सुनना चाहते हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस कष्ट को बड़े कष्ट के साथ सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक बार फिर अकाल की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रभावी कदम उठाना तो दूर की बात, जो देयों की वसूली है उसको भी नहीं रोका जा रहा है और आज भी गरीब किसान पकड़ा जा रहा है, जेलों में उनको भेजा जा रहा है । हमने अकालग्रस्त घोषित करने की मांग इसलिए की थी कि जो सूखे का मानक है उन मानकों से गरीब किसान और मजदूर का भला होने वाला नहीं है, इसलिए बजट पेश होने वाले दिन एक बात कहीं थी कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन दे दें, प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाता है । और यदि अकालग्रस्त के मानक नहीं हैं, तफसील नहीं है तो आदेश भेजे जायें । यह कहा गया कि आजादी के 54 सालों में ऐसा सूखा नहीं पड़ा है और ऐसा सूखा नहीं पड़ा है तो नियम नहीं बने । अंग्रेजों ने जो नियम बनाये थे, मिसाल के तौर पर मोटर व्हेकिल एक्ट था, अंग्रेजी गाड़ी अंग्रेज चलाता था या फिर उसका ड्राइवर .....

(श्री अध्यक्ष के बोलने पर)

(विपक्ष के अनेक सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग यदि बोलने नहीं देना चाहते हैं तो मैं सदन को 12.20 तक स्थगित करता हूं ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई ।)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही)

(विपक्ष के अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

(शोर-शराबे के मध्य)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रश्नोत्तर

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा ग्रामीण/तहसील स्तरों पर विद्युत दर समान करने तथा मीटरिंग व्यवस्था समाप्त किये जाने की मांग

**1–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा ग्रामीण व तहसील स्तर के कस्बों में बिजली की आपूर्ति 8 घण्टे प्रतिदिन की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार आपूर्ति के समान घण्टों को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामीण व तहसील क्षेत्र की विद्युत दरों को भी समान करेगी तथा कस्बों से मीटरिंग व्यवस्था समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

जी हां ।

जी नहीं ।

(1) उ०प्र० नियामक आयोग द्वारा लागू की गई दर-सूची में संशोधन करने का अधिकार उ०प्र० पावर कारपोरेशन को नहीं है ।

(2) उ०प्र० शासन द्वारा भारत सरकार के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) के अनुसार समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के संयोजनों पर मीटर स्थापित किये जाने हैं । अतः इस परिप्रेक्ष्य में कस्बों में स्थापित मीटरों को हटाया जाना सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर रहित संयोजनों पर भी मीटर स्थापित किये जाने की योजना बनायी गई है ।

उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

सरकार द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाने की मांग

**2–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें क्या हैं ? क्या वर्तमान में लागू दरें अत्यधिक कम हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

प्रदेश शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 65 अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गयी हैं । विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी दरें रु० 56.86 से रु० 100.67 तक निर्धारित हैं ।

जी नहीं । अधिकांश अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की निर्धारित दरें परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के साथ सम्बद्ध है । परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का समायोजन वर्ष में दो बार किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

अधिकांश अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की निर्धारित दरें परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के साथ सम्बद्ध है । परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का समायोजन वर्ष में दो बार किया जाता है ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अनाज के बदले काम योजनान्तर्गत तालाब खोदना तथा सड़कें बनाना कार्य भी सम्मलित किये जाने की मांग

*1–श्री रेवतीरमण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि "अनाज के बदले काम" योजना को प्रदेश में पुनः लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत तालाब खोदना तथा सड़कें बनाना भी सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

वर्तमान समय में प्रदेश में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मजदूरी/रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को प्रति मानव दिवस 5 किलोग्राम चावल के साथ 23 रु० नकद अथवा 6 किलोग्राम गेहूं के साथ 28 रु० नकद मजदूरी दी जाती है ।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत तालाब खुदाई तथा सम्पर्क मार्ग का कार्य कराया जाना भी अनुमन्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2–श्री अम्बिका चौधरी–

[मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में आई०ए०एस० अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी लम्बित जांचों की जानकारी

श्री संजय गर्ग–

*3–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि 30 जून, 2002 तक प्रदेश में कितने आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामले जांच हेतु लम्बित हैं ? सरकार लम्बित जांचों को कब तक पूरा करा लेगी ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद एटा में अपराधों में बढ़ोत्तरी के कारण डाकूग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग

*4–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में 1 जनवरी, 2001 से अब तक कितनी डकैती, अपहरण एवं हत्याओं की घटनाएं हुई हैं ? क्या सरकार बढ़ते हुए अपराधों एवं सूचीबद्ध गिरोहों की संख्या देखते हुए उक्त जनपद को डाकूग्रस्त क्षेत्र घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद एटा में दिनांक 1 जनवरी, 2001 से दिनांक 15-7-2002 तक डकैती, अपहरण एवं हत्याओं की क्रमशः 23, 29 व 330 घटनायें हुई हैं ।

राज्य सरकार द्वारा जनपद एटा पूर्व से ही अधिसूचना सं०–8111पी/आठ–3-81, दिनांक 5-11-81 द्वारा डाकू प्रभावित क्षेत्र घोषित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किये गये उपाय तथा उसके प्रारूप की जानकारी

*5–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति से निपटने के लिये अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से प्राप्त अपराध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में दिनांक 01-01-2002 से दिनांक 30-6-2002 तक सभी प्रमुख अपराध शीर्षकों के अन्तर्गत कमी आई है । इसी अवधि में राजधानी लखनऊ के अपराध आंकड़ों में लूट, दहेज, हत्या एवं कुल भा० दं० वि० के अपराधों को छोड़कर अन्य सभी शीर्षकों के अन्तर्गत कमी परिलक्षित हुई है ।

अपराधों पर अंकुश लगाना पुलिस की सतत प्रक्रिया है । घटित अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अतिरिक्त समय-समय पर वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान संचालित किये जाते हैं ।

विशेष अपराधों के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदों में एस०ओ०जी० को लगाया जाता है । इसके अतिरिक्त कुख्यात अपराधियों व इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग हेतु तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के अनावरण हेतु प्रदेश एस०टी०एफ० को भी लगाया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*6–श्री राम किशुन–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सरकार द्वारा पश्चिमी उ० प्र० में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की विचाराधीन योजना

*7–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उ०प्र० में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त खण्डपीठ कब तक स्थापित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । भारत का संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची एक की प्रविष्टि संख्या–78 के उपबन्धों के अनुसार मा० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का प्रकरण भारत सरकार विधि मंत्रालय के विचाराधीन है ।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार ।

सरकारी सेवाओं में पुनर्नियुक्ति एवं सेवा विस्तार के संबंध में शासन की नीति

*8–श्री आलोक कुमार शाक्य तथा डा० विनोद तिवारी–

क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी सेवाओं में पुनर्नियुक्ति एवं सेवा विस्तार के सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है ? सरकारी सेवाओं में प्रतिवर्ष 2% पदों की कमी करने की शासन की प्रतिबद्धता एवं प्रदेश में व्याप्त गम्भीर वित्तीय संकट को देखते हुये क्या सरकार सभी पुनर्नियुक्ति एवं सेवा विस्तार के प्रकरणों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासनादेश संख्या–1/12/97–का–4–1997, दिनांक 17 नवम्बर, 1997 के प्राविधानानुसार केवल ऐसे विधिक एवं वैज्ञानिक पद, जहां प्रयत्न के बावजूद प्रतिस्थानी की तैनाती न हो पा रही हो एवं उक्त

पद को जनहित/कार्यहित में भरा जाना अपरिहार्य हो, केवल वहीं अनुबन्धात्मक आधार पर सेवानिवृत्त कार्मिक को तैनात किया जा सकता है ।

जी हां ।

शासनादेश संख्या–1/12/97–का–4–2002, दिनांक 07 अगस्त, 2002 के द्वारा सेवाविस्तार/पुनर्नियुक्ति पर कार्यरत समस्त कार्मिकों की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैण्डपाइप लगवाने की स्वीकृति

*9–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री विश्राम सिंह यादव तथा श्री कौशल किशोर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० विधायकों को जो 50-50 हैण्ड पाइप उनके निर्वाचन क्षेत्र में लगवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ? क्या यह सही है कि उन पर होने वाले व्यय का 10 प्रतिशत खर्चा ग्राम वासियों द्वारा वहन करने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने का निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

भारत सरकार के मार्ग-निर्देश में निहित व्यवस्था के अनुपालन में हैण्डपम्पों की कुल लागत मूल्य का 10 प्रतिशत की राशि लाभार्थी समूहों से लिए जाने तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी का भार लाभार्थी समूहों पर डाले जाने का निर्णय लिया गया है । मा० जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर शासनादेश सं०–2381/38-5-2002, दिनांक 31-7-2002 में यह निर्णय लिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 में जहां कहीं ग्राम पंचायत यह पायें कि अमुक लाभार्थी समूह अत्यन्त गरीब हैं और वह 10 प्रतिशत धनराशि नहीं दे सकता है, तो ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करके अपने संसाधनों से 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान का योगदान कर सकते हैं ।

जहां कहीं गांव सभा कतिपय कारणों से उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत का योगदान करने पर मत स्थिर नहीं कर पातीं, परन्तु मा० सदस्यगण विधान सभा/विधान परिषद् उन मामलों में जिन्हें वे अत्यन्त गरीब समूह पाते हैं और हैण्डपम्प लगाया जाना अति आवश्यक समझते हैं, 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान के भुगतान का योगदान नियमानुसार अपनी सहमति से विधायक निधि से कर सकते हैं ।

सुरक्षा कर्मियों को किराया रहित आवास अथवा विशेष किराया भत्ता की सुविधा

*10–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सुरक्षा कार्यों से जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों को दी जा रही किराया रहित आवास अथवा ऐसा आवास उपलब्ध न होने पर विशेष किराया भत्ता दिए जाने

की सुविधा समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त सुरक्षा कर्मियों को किराया रहित आवास अथवा विशेष किराया भत्ता दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं, पूर्व से अनुमन्य किसी सुविधा को समाप्त नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*11–डा० विनोद तिवारी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सहकारी संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज माफ किये जाने की योजना

*12–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने हेतु पं० दीन दयाल ऋण योजना के तहत, सहकारी संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज माफ किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

सहकारिता मंत्री (श्री राम प्रकाश त्रिपाठी)–

सहकारिता विभाग द्वारा नाबार्ड के मार्गदर्शन के अनुरूप एक मुश्त समझौता योजना लागू कर दी गई है । यह योजना पं० दीन दयाल ऋण योजना के नाम से ख्यात हुई है ।

उक्त एक मुश्त योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1–पात्रता–दीर्घकालीन ऋण के संबंध में ऐसे बकायेदार सदस्य जिनके बकाये की अवधि दिनांक 31-3-98 को तीन वर्ष से अधिक थी अर्थात जो बकाया दिनांक 31-3-95 के पूर्व का है एवं जिनके बकाये की अवधि दिनांक 31-3-1998 के बाद तीन वर्ष से अधिक हुई । अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण के संबंध में एक मुश्त समझौता समितियों के केवल उन्हीं बकायेदार सदस्यों के साथ किया जाएगा जिन पर दिनांक 31-3-1998 को तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से ऋण बकाया था अर्थात् जिन पर दिनांक 31-3-95 या पूर्व से बकाया था । दिनांक 31-3-98 के बाद बकाया पड़े ऋण के संबंध में यह योजना लागू नहीं होगी ।

2–ब्याज में छूट निम्नवत् प्राप्त होगी:–

(1) दिनांक 31 अगस्त, 2002 तक बकाये की समस्त धनराशि अदा करने पर दिनांक 1-4-1998 से अदायगी की तिथि तक ब्याज में शत-प्रतिशत छूट ।

(2) दिनांक 31 अगस्त, 2002 के बाद और 31 अक्टूबर, 2002 तक अदा करने पर दिनांक 1-4-1998 से देय ब्याज में 75 प्रतिशत छूट ।

(3) नवम्बर, 2002 में अदा करने पर दिनांक 1-4-1998 से अदायगी की तिथि तक देय ब्याज में 50 प्रतिशत छूट ।

(4) दिसम्बर, 2002 में अदा करने पर दिनांक 1-4-1998 से अदायगी की तिथि तक देय ब्याज में 25 प्रतिशत की छूट ।

(5) संग्रह शुल्क (10 प्रतिशत) में शत-प्रतिशत छूट ।

(6) इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन ऋण के मामले में दिनांक 31-3-1998 के बाद तीन वर्ष पुराना बकाया होने की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज चार्ज किया जाएगा तथा अन्य कोई वसूली व्यय भी नहीं लिया जायेगा ।

सरकार द्वारा बनायी गयी स्थानान्तरण नीति

*13–श्री मन्ता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कोई स्थानान्तरण नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है, यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–1/3/96–का–4–2002, दिनांक 12 जून, 2002 के द्वारा समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2001 के द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति को यथावत प्रभावी किया गया है । (संलग्नक)

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 63–68 पर ।)

समूह 'ग' भर्ती पर सरकार द्वारा लगायी गयी रोक की जानकारी

*14–श्री अनूप कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समूह "ग" भर्ती पर सरकार द्वारा रोक लगाई गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त समूह "ग" की भर्ती पर लगी रोक कब तक बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय की जानकारी

*15–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन से जिले आतंकवाद से प्रभावित हैं ? क्या इससे निपटने के लिये सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

(क) आतंकवाद एवं उसके पोषित संगठनों से निम्न जनपद प्रभावित हैं :–

1–मेरठ, 2–बुलन्दशहर, 3–सहारनपुर, 4–आगरा, 5–गाजियाबाद, 6–मुजफ्फरनगर, 7–अलीगढ़, 8–मथुरा, 9–बरेली, 10–फिरोजाबाद, 11–श्रावस्ती, 12–वाराणसी, 13–लखीमपुर खीरी, 14–महाराजगंज, 15–गोरखपुर, 16–सिद्धार्थनगर, 17–बहराइच, 18–कानपुर, 19–बलरामपुर, 20–लखनऊ, 21–बस्ती, 22–आजमगढ़ ।

(ख) जी हां ।

आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :–

1–संवेदनशील जनपदों की जिला/मण्डल स्तर पर समीक्षा ।

2–अभिसूचना विभाग के अन्तर्गत विशेष कोष्ठ का गठन ।

3–उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पुलिस का गठन ।

4–स्पेशल टास्क फोर्स का गठन ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अम्बेडकर ग्रामों के विकास के लिए धन आवंटन

*16–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत 30 जून, 2002 तक चयनित ग्रामों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विकास की योजनाएं पूरी करा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अवशेष विकास योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु अलग से धन आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में वर्ष 1990-91 से वर्ष 2001-2002 तक चयनित 25569 अम्बेडकर ग्रामों के सापेक्ष 15 जुलाई, 2002 तक 13506 अम्बेडकर ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम विकास की 11 प्रमुख कार्यक्रमों से संतृप्त करा दिया है । वर्ष 2002-2003 में प्रति विधान सभावार (शहरी क्षेत्रों को छोड़कर) 27 ग्रामों का अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयन किया गया है ।

असंतृप्त अम्बेडकर ग्रामों में अवशेष/अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय व्यवस्था करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बस्ती के विकास खण्ड हर्रैया के ग्राम पिकौरा में श्रीमती तुलसा देवी पत्नी श्री रामदास मिश्र को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु तत्कालीन ग्राम्य विकास मंत्री का कथित आदेश

1–श्री इकबाल महमूद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती तुलसा देवी पत्नी श्री रामदास मिश्र ग्राम पिकौरा मिश्र विकास खण्ड हर्रैया जिला बस्ती को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने का तत्कालीन ग्राम

विकास मंत्री द्वारा दिनांक 26-9-2001 को आदेश मुख्य विकास अधिकारी बस्ती को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उनका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की कस्बा रेउसा तम्बौर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की मांग

2–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कस्बा रेउसा, तम्बौर, जनपद सीतापुर में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत स्थान पर अग्निशमन केन्द्र खोला जाना मानकों के अन्तर्गत नहीं है ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा की साधन सहकारी समिति द्वारा किसानों के क्रय किये गये गेहूं के मूल्य का भुगतान

3–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा, की साधन सहकारी समिति रेउसा द्वारा वर्ष 1998 में किसानों का कितना गेहूं खरीदा गया ? क्या किसानों को उनके गेहूं के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो बकाये रुपये का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

वर्ष 1998 में साधन सहकारी समिति रेउसा द्वारा कुल 10487.93 कुन्तल गेहूं खरीदा गया ।

मात्र 18 किसानों का मु० रु० 319631.00 का भुगतान शेष रह गया है ।

तत्कालीन सचिव एवं गेहूं केन्द्र प्रभारी द्वारा 1083.55 कुन्तल गेहूं का अपहरण कर लिया गया । उक्त दोनों ही कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर अधिभार आदेश डिग्री पारित कर दी गई है । प्रकरण में मा० सहकारी न्यायाधिकरण उ० प्र० लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 14-9-2000 द्वारा अधिभार के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है ।

प्रकरण में विधिक कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री दयाराम प्रजापति, सदस्य, विधान परिषद् उ० प्र० के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

4–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दयाराम प्रजापति, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश का शिकायती-पत्र दिनांक 18-10-2001 तत्कालीन मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम से फर्जी फैक्स कम्प्यूटर कक्ष से पत्रांक संख्या–सी०एम०–50 पत्र संख्या–72554/ लो०शि०-2/2000 दिनांक

13-5-2000 करने की एफ० आई०आर० थाना कोतवाली शहर बांदा में दर्ज करके जांच कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? कि यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मुख्य मंत्री कार्यालय के अभिलेखों से लोक शिकायत अनुभाग–2 से प्रश्नगत पत्रांक संख्या–सी–05072554/लो०शि०–2 दिनांक 13-5-2000. जिस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के हस्तलिखित आदेश एफ०आई०आर० दर्ज कराने के संबंध में है, जारी किये जाने की पुष्टि होती है । इसके अतिरिक्त श्री दयाराम प्रजापति, मा० सदस्य विधान परिषद् के शिकायती-पत्र के साथ संलग्न श्री कमलेश कुमार धुरिया के शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी से कराये जाने पर वे प्रश्नगत पत्र के फर्जी होने की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सके । अतः इस संबंध में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद लखनऊ, थाना हजरतगंज में प्रथम सूचना दर्ज करने एवं भारतीय मजदूर संघ के शिकायतकर्ता के परिवार की सुरक्षा संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

5–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि थाना हजरतगंज, लखनऊ में प्रथम सूचना दर्ज करने एवं भारतीय मजदूर संघ के शिकायतकर्ता के परिवार की सुरक्षा सम्बन्धी श्री देवी प्रसाद सिंह, सांसद (राज्य सभा) श्री ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम०एल०सी० श्री भगत सिंह कोश्यारी, एम०एल०सी० श्री हरदेव सिंह एवं प्रश्नकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 31-3-2000 जो कि मुख्य मंत्री उ०प्र० को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अम्बेडकर ग्रामों के विकास कार्य को पूर्ण कराये जाने के निर्देश

6–डा० कौशल किशोर–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-2003 के लिये क्या अम्बेडकर ग्रामों का चयन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या पूर्व चयनित अम्बेडकर ग्रामों का विकास कार्य पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

पूर्व में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना अधीन अवशेष/अधूरे विकास कार्यक्रमों को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद एटा के सूचीबद्ध गिरोह की समाप्ति का अभियान चलाये जाने की मांग

7–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद एटा में कितने सूचीबद्ध गिरोह हैं तथा वर्ष 2001 तथा वर्ष 2002 में अब तक कितनी हत्यायें, डकैती एवं अपहरण की घटनायें हुईं ? बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए क्या सरकार उक्त जनपद के सूचीबद्ध गिरोह को समाप्त किये जाने हेतु कोई अभियान चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद एटा में 08 सूचीबद्ध गिरोह हैं । वर्ष 2001 में 219 हत्यायें, 18 डकैती व 20 अपहरण तथा वर्ष 2002 में दि० 15-7-02 तक 111 हत्यायें, 05 डकैती व 09 अपहरण की घटनायें हुई हैं ।

जनपद के 08 सूचीबद्ध गिरोहों में से चार के गैंग लीडर मारे जा चुके हैं । तीन गैंगों के लीडर जेल में निरुद्ध हैं तथा एक गिरोह का लीडर फरार है तथा उसके सदस्य छिन्न-भिन्न होकर शान्त हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० उच्च न्यायालय उ० प्र० की लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन

8–श्री इकबाल महमूद–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-2-99 के अनुपालन में दिनांक 8-7-99 को कुछ कर्मचारियों को प्रखण्ड कार्यालय, बस्ती में कार्यभार ग्रहण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों की सेवाएं पुनः समाप्त कर दी गईं ? यदि हां, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री (श्री कौकब हमीद)–

मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के निर्णय दिनांक 19-2-99 के अनुपालन में केवल श्री अनिल कुमार दुबे, कार्य प्रभारित दैनिक वेतन भोगी को ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड–बस्ती कार्यालय में योगदान कराया गया था, जिसकी योगदान आख्या को अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बस्ती ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 20-01-2000 द्वारा निरस्त कर दिया ।

मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19-2-99 में याची श्री अनिल कुमार दुबे को रिट याचिका संख्या–8148/90 में पारित निर्णयों का लाभ अनुमन्य कराये जाने के आदेश दिये हैं । याची श्री दुबे से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियों का परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि याची ने बारह कैलेण्डर माह में निर्धारित 240 दिन की अवधि तक कार्य नहीं किया है । अतः 240 दिन तक कार्य न करने के कारण याची की योगदान आख्या अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण से, प्रखण्ड–बस्ती द्वारा निरस्त कर दी गयी ।

जनपद मैनपुरी, थाना बेवर तथा अन्य थानों में शिवराज सिंह उर्फ पी०टी०आई० व देवेन्द्र सिंह उर्फ करू आदि के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों में कृत कार्यवाही

9–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी०टी०आई० व देवेन्द्र सिंह उर्फ करू व विजेन्द्र सिंह उर्फ भल्लू पर थाना बेवर तथा जनपद के अन्य थानों में वर्तमान समय में कितने आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं ? क्या सरकार उक्त अपराधियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों में शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी० टी० आई० देवेन्द्र सिंह उर्फ करू व विजेन्द्र सिंह उर्फ भल्लू पर क्रमशः 52, 17 व 20 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं ।

इनके विरुद्ध आपराधिक कृत प्रमाणित होने पर वर्तमान कानून के अन्तर्गत ठोस कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत, पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी

10–श्री रियाज अहमद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–पीलीभीत में पुलिस विभाग में कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे हैं जो विगत 5-6 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद पीलीभीत में पुलिस विभाग में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी ऐसा नहीं है, जो गत 5-6 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत में कार्यरत अपर निबन्धक, सहकारी समिति के विरुद्ध की गयी शिकायत सम्बन्धी प्रकरण

11–श्री रियाज अहमद–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद–पीलीभीत में कार्यरत अपर निबन्धक, सहकारी समिति द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं गबन की शिकायत समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने विशेष सचिव, सहकारिता, उ०प्र० शासन, लखनऊ निबन्धक सहकारिता उ०प्र० एवं जिलाधिकारी, पीलीभीत से मार्च, 2002 में की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

जनपद पीलीभीत में अपर निबन्धक, सहकारी समिति का कोई पद नहीं है । अतः अपर निबन्धक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया थाना बरहज/भलुवनी में जनवरी/फरवरी के मध्य अंकित हरिजन उत्पीड़न के मुकदमों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

12–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बरहज एवं भलुवनी जनपद देवरिया में जनवरी एवं फरवरी, 2002 के मध्य कितने हरिजन उत्पीड़न के मुकदमें किस-किस तिथि को अंकित किये गये है ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सुश्री मायावती–

कुल तीन मुकदमें ।

थाना बरहज में 2 मुकदमें दिनांक 6-2-2002 को तथा दिनांक 21-2-02 को पंजीकृत हुए तथा थाना भलुवनी में एक मुकदमा दिनांक 21-2-2002 को पंजीकृत हुआ था ।

(अ) थाना बरहज में दिनांक 6-2-02 को पंजीकृत मुकदमें में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 8-4-2002 को न्यायालय में प्रेषित किया गया । अज्ञात अभियुक्त का पता नहीं चला ।

(ब) थाना बरहज में दिनांक 21-2-2002 को पंजीकृत मुकदमें में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 18-5-2002 को प्रेषित किया गया तथा 2 अन्य के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है ।

(स) थाना भलुअनी में दिनांक 21-2-02 को पंजीकृत मुकदमें में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र दिनांक 30-4-02 को प्रेषित किया गया । अज्ञात अभियुक्तगणों का पता नहीं चल सका ।

जनपद देवरिया थाना बरहज में अंकित मु०अ०सं०–115/02 धारा 188 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०स०–115/02, दिनांक 02.02.02 धारा 188 जो थाना बरहज जनपद देवरिया में अंकित है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उक्त मुकदमें की विवेचना उप निरीक्षक थाना बरहज द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना एवं गवाहों के बयान एवं निरीक्षण घटनास्थल व बरामदगी से सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दोष सिद्ध पाये गये, आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में एक माह में दर्ज हत्या के मुकदमें एवं बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही

14–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में जून, 2001 से मई, 2002 तक हत्या के कितने मुकदमें दर्ज हुए हैं ? अपराधों को रोकने के लिए कौन सी प्रभावी कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद देवरिया में जून, 2001 से मई, 2002 तक हत्या के 44 मुकदमें पंजीकृत हुए हैं ।

अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक तथा एक राजपत्रित अधिकारी (शिकायत अधिकारी) द्वारा नित्य 10.00 बजे से 12.00 बजे तक अपने मुख्यालय पर बैठ कर सुनवाई की जा रही है तथा थाना/तहसील दिवस पर इस तरह के प्रार्थना-पत्रों पर राजस्व अधिकारियों के साथ उनका निराकरण कराया जाता है । विवादित प्रकरणों को चिन्हित करके उसमें निरोधात्मक कार्यवाही करायी जाती है, घटना घटित होने के बाद अभियुक्तों को तत्परता से गिरफ्तार करके उन पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद के निवासी श्री विष्णु कुमार अग्रवाल के पत्र पर दूसरे विवेचक से पुनः जांच कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग

15–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद के निवासी विष्णु कुमार अग्रवाल के०जी०–119 कविनगर द्वारा दिया गया पत्र जो सी०वी०नं०–197/2001 अ०सं०–46/2001 धारा 302भा०दं० वि० थाना जी०आर०पी० गाजियाबाद की जाँच पुनः दूसरे विवेचक से कराये जाने के संबंध में है, माननीय मुख्य मंत्री को दिनांक 20-6-02 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

चूंकि प्रश्नगत मामले में पुलिस महानिरीक्षक, अपराधा शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ० प्र० द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त दि० 14-3-2002 को स्वीकार की जा चुकी है, अतएव इस मामले में पुनर्विचार का औचित्य नहीं पाया गया है ।

शेष प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु योजना

16–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर में जनवरी, 2000 से जून, 2002 तक कितने अपराध डकैती, हत्या राहजनी के दर्ज किए गये हैं, क्या यह सही है कि अप्रैल, 2002 से जून, 2002

के मध्य अपराधों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसकी रोक थाम के लिए सरकार क्या योजना बना रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद सहारनपुर में जनवरी, 2000 से जून, 2002 तक डकैती के 19, हत्या के 256 एवं राहजनी के 78 अपराध दर्ज किये गये हैं ।

केवल राहजनी के अपराधों में वर्ष 2001 की इसी अवधि की तुलना में आंशिक वृद्धि हुई है परन्तु वर्ष 2000 की इसी अवधि की तुलना में कमी हुई है ।

इन अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त एवं पिकेट्स की प्रभावी व्यवस्था की गयी है ।

जनपद लखनऊ थाना कृष्णानगर में पंजीकृत अपराध संख्या–80/99 धारा–302 भा०द०वि० की जांच सी०बी०सी०आई०डी० को स्थानान्तरित करने संबंधी प्रकरण

17–श्री संजय गर्ग–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के थाना कृष्णानगर में पंजीकृत अपराध संख्या 80/99 धारा 302 भा०दं०वि० की जांच सी०बी०सी० आई०डी० को स्थानान्तरित की गयी है ? यदि हां, तो मृतक की पत्नी द्वारा जाँच अन्य विवेचक से कराये जाने की माँग 19–3–2002 को प्रमुख सचिव गृह से की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

आवेदिका के प्रार्थना-पत्र पर अपराध अनुसंधान विभाग से आख्या मंगायी गई थी । अपराध अनुसंधान विभाग की पूर्व प्रेषित आख्या को स्वीकार करते हुये कथित अभियोग की पुनर्विवेचना किसी अन्य विवेचक से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

''उ० प्र० पुलिस जर्नल'' पत्रिका के प्रकाशन संबंधी तत्कालीन मुख्य मंत्री के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

18–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ''उ०प्र० पुलिस जर्नल'' पत्रिका के प्रकाशन के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री का पत्र संख्या पी०एस०/114376/सी०एम०–2 दिनांक 3–8–2001 प्रमुख सचिव गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय से प्रकरण में आख्या मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती/तहसील सदर सांउघाट ब्लाक स्थित ग्राम छपिया मन्झरिया से बस्ती-गोरखपुर मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले कच्चे मार्ग के निर्माण की मांग

19–श्री शंख लाल माझी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बस्ती में तहसील सदर के अन्तर्गत सांउघाट ब्लाक में स्थित ग्राम छपिया मन्झरिया से बस्ती–गोरखपुर मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला मार्ग कच्चा है ? क्या बरसात के मौसम में पानी भर जाने के कारण उक्त मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बस्ती में तहसील सदर के अर्न्तगत साउघाट ब्लाक में स्थित बस्ती-गोरखपुर पी० डब्लू० डी० मार्ग से ग्राम छपिया मन्झरिया तक के सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 2 कि०मी० है, जिसमें 1.50 कि०मी० में खड़न्जा लगा है एवं 0.50 कि०मी० कच्चा है ।

जी नहीं ।

वर्तमान में उक्त मार्ग लेपन कराये जाने हेतु किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

जनपद संत कबीर नगर के ग्राम चेरापुर से महुली बस्ती मार्ग पर स्थित कुशहवा तक जोड़ने वाले कच्चे मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराने की मांग

20–श्री शंख लाल माझी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में स्थित ग्राम चेरापुर से महुली बस्ती मार्ग पर स्थित कुशहवा तक जोड़ने वाला मार्ग आज भी कच्चा है ? क्या बरसात के मौसम में पानी भर जाने के कारण उक्त मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

यह मार्ग किसी भी योजना में लेपन स्तर तक निर्माण हेतु स्वीकृत नहीं है ।

उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी द्वारा की गयी जांच में पाये गये दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

21–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी द्वारा जाँच संख्या 37/97 में जाँच पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो जाँच आख्या शासन को कब सौंपी गई ? तथा उसके आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत जांच आख्या माह सितम्बर, 1998 में शासन को प्राप्त हुयी थी । मामले में अन्तर्ग्रस्त पाये गये कर्मचारी को यथोचित दण्ड प्रदान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि

22–श्री संजय गर्ग–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र व जनपद सहारनपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 और 2000–2001 में कितना धन आवंटित किया गया ? क्या आवंटित धन का समुचित उपयोग कर लिया गया है ? क्या यह सत्य है कि कार्य किये बगैर ही सड़कों के निर्माण के नाम पर अनियमितताएं की गयीं हैं ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यों पर आवंटित किये जाने का प्राविधान है । प्रश्नकर्ता मा० विधायक जी नगर क्षेत्र सहारनपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं । सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 एवं 2000-2001 में जनपद को प्राप्त धनराशि एवं उपयोग धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(धनराशि लाख रु० में)

वर्ष	01 अप्रैल को योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष में उपयोग की गयी धनराशि
1998-99	211.90	550.00	761.90	706.90
2000-2001	61.64	416.533	478.173	442.469

ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है कि कार्य के किये बगैर ही सड़कों के निर्माण के नाम पर अनियमितताएं की गयी हों । यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल कार्यवाही की जायेगी । कराये गये कार्यों का जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित भौतिक सत्यापन किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति में विधायकों की सहमति

23–श्री संजय गर्ग–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति विधायकों की सहमति से की जाती है ? यदि हां, तो क्या जनपद सहारनपुर में इसका पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सम्प्रति भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 1-11-2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में एकीकृत कर दिया गया है। योजना के मार्ग-निर्देशों के अनुसार जनपद की प्राप्त धनराशि का 20 प्रतिशत जिला पंचायत को, 30 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों को तथा 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को आवंटित कर दी जाती है। योजना के मार्ग-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों को मिलने वाली धनराशि से कार्यों का चयन/अनुमोदन का अधिकार ग्राम सभा में ही निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रश्नगत अवधि में घटित दुर्घटनाओं का विवरण

24–श्री राम करन आर्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मुख्य मंत्री के शपथ ग्रहण के बाद से 30 जून 2002 तक उ० प्र० में कितने अपहरण कितनी हत्यायें कितने दलित उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटना घटी है ? इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में प्रश्नगत अवधि में अपहरण 447, हत्या 1147, दलित उत्पीड़न 1160 एवं बलात्कार की 234 घटनायें घटी हैं।

इन अपराधों को रोकने के लिये समय-समय पर प्रदेश स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर से कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाये गये हैं तथा अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर भी कार्यवाही की गयी है।

प्रदेश में अम्बेडकर गांवों की चयन प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी

25–श्री राम करन आर्य तथा श्री सीताराम निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर गांव चयन की प्रक्रिया क्या है ? वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने गांव चयनित किये गये हैं तथा उनमें कितने संतृप्त हैं और कितने असंतृप्त हैं, ? क्या सरकार असंतृप्त गांवों को संतृप्त करने का आदेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मयावती–

वर्तमान में अम्बेडकर ग्रामों के चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है :–

प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र (शहरी विधान सभा क्षेत्रों को छोड़ते हुए) से वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करते हुए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 27 राजस्व ग्रामों का चयन पूर्व में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को छोड़कर किया जाता है। यदि विधान सभा क्षेत्र दो जनपदों में फैला हो तो विधान सभा क्षेत्र के कुल राजस्व ग्रामों में जनपदों के राजस्व ग्रामों के अनुपात में 27 की संख्या विभाजित की जाती है।

प्रारम्भ से लेकर वर्ष 2001-2002 तक 25569 अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं तथा उनमें 11 कार्यक्रमों से 13506 ग्राम संतृप्त हैं तथा 12063 ग्राम असंतृप्त हैं ।

वर्ष 2002-2003 के लिये भी 10082 अम्बेडकर ग्रामों का चयन कर लिया गया है तथा उनकी कार्ययोजना भी बना ली गई है ।

जी हां ।

आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में निर्मित इन्दिरा आवासों के आवंटन के संबंध में जानकारी

26–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 2000–2001 में 400 इन्दिरा आवास शासन द्वारा ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निर्मित आवास खण्ड विकास अधिकारी, बेवर द्वारा अपात्र व्यक्तियों को आवंटित करके अनियमिततायें की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । विकास खण्डों के लक्ष्यों का निर्धारण जनपद स्तर पर किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को खड़ंजा की स्थापना हेतु आवंटित धनराशि

27 [illegible]–

[illegible] ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा [illegible] को वर्ष 2001–2002 को मा० श्री जय प्रकाश, सांसद की सांसद निधि से ग्राम–अटुका, विकास खण्ड–बेंहदर, तहसील–सण्डीला, जनपद–हरदोई में मिट्टी व खड़ंजा स्थापना हेतु कितना धन प्राप्त हुआ है ? क्या प्राप्त धन से प्रस्तावित खड़ंजा स्थापित कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री कौकब हमीद–

सांसद निधि से प्रश्नगत मार्ग पर मिट्टी/खड़ंजा कार्य हेतु कुल स्वीकृत धनराशि रुपया 2.437 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में मु०–1.82775 लाख की धनराशि प्राप्त हुई ।

जी नहीं ।

स्वीकृत कार्य पर जमीन का विवाद होने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया है ।

जनपद फैजाबाद मवई के थानाध्यक्ष श्री प्रमोद कटियार के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें

28–श्री आनन्द सेन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रमोद कटियार तत्कालीन थानाध्यक्ष, मवई, फैजाबाद के विरुद्ध मुकदमा अप० सं० 1/2001 धारा 323/504/506 व एस०सी०एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

श्री प्रमोद कटियार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–सी–1/2001, धारा 323/504/506 भा०दं०वि० व धारा 3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना मवई पर पंजीकृत हुआ था ।

प्रकरण की विवेचना संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी । आरोप प्रमाणित न होने पर मुकदमा विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं० बी–21 दिनांक 28-5-2001 को समाप्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद थाना इनायतनगर ग्राम डीली गिरधर के निवासी श्री राम औतार कहार की पत्नी व पुत्र के साथ हुये दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रकरण

29–श्री आनन्द सेन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्नी राम औतार कहार व नाबालिग 8 वर्षीय पुत्र निवासी ग्राम–डीली गिरधर, थाना–इनायतनगर, फैजाबाद को उसी गांव के निवासी जय प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश, शिव प्रसाद द्वारा दिनांक 4 मई, 2002 को मारपीट कर घायल कर दिया गया तथा महिला को निर्वस्त्र कर अमानवीय व्यवहार किया गया था ? क्या यह सही है कि थानाध्यक्ष इनायतनगर द्वारा प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज की गयी ? यदि हां, तो विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज किये जाने की जांच किसी उच्चधिकारी से करायी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 4-5-2002 को हुई मारपीट की घटना के संबंध में दिनांक 7-5-2002 को वादी श्री राम औतार की सूचना पर विपक्षी जय प्रकाश पुत्र फक्कड़, अरुण कुमार पुत्र जय प्रकाश, मुल्लर पुत्र सुन्दर व जगदीश पुत्र लाल बिहारी के विरुद्ध थाना इनायतनगर में मु० अ० सं० 162/2002 धारा 323/504/506 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । वादी की पत्नी को निर्वस्त्र कर अमानवीय व्यवहार किये जाने का तथ्य प्रकाश में नहीं आया । उक्त अभियोग में आरोप पत्र दिनांक 2-7-2002 को मा० न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है ।

जी नहीं । दिनांक 7-5-2002 को वादी की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों के प्रवेश हेतु अस्थायी पास निर्गत करने संबंधी जानकारी

30–डा० वकार अहमद शाह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों की प्रवेश हेतु अस्थायी पास निर्गत करने का कोई प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पदाधिकारियों को अस्थायी प्रवेश पत्र निर्गत, करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

31–श्री उदय राज यादव–

[1ले मंगलवार के अता० प्र०सं० 119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न संबंधी दर्ज मुकदमों का विवरण

32–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उत्पीड़न के 1 मार्च 2002 से 30 जून 2002 तक कुल कितने मुकदमें दर्ज किये गये ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

सुश्री मायावती–

कुल 61 मुकदमें दर्ज किये गये ।

1–47 अभियोगों में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित ।

2–2 अभियोगों में अंतिम रिपोर्ट ।

3–2 अभियोग खारिज ।

4–10 अभियोग विवेचनाधीन । विवेचनाधीन अभियोगों के अधिकारियों को संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं विवेचना के निस्तारण हेतु कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

जनपद बांदा में सहकारिता विभाग द्वारा कृषक सदस्यों को फसली ऋण का वितरण

33–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बांदा में सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2000–2001 व 2001–2002 में कुल कितने किसानों को सहकारी ऋण एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों को सहकारी फसल ऋण हेतु ब्याज अनुदान (डी० आर० आई०) प्रदान किया है ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

जी हां । जनपद बांदा में सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2000-2001 एवं 2001-02 में क्रमशः 21357 एवं 22013 कृषक सदस्यों को फसली ऋण वितरित किया गया है । अनुसूचित जाति के सदस्यों को वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 की जिला योजना में ब्याज अनुदान मद में बजट प्राविधान न होने के कारण वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जा सकी । अतः उपर्युक्त वित्तीय वर्षों में अनुसूचित जाति के सदस्यों को सहकारी फसल ऋण हेतु ब्याज अनुदान (डी० आर० आई०) प्रदान नहीं किया जा सका ।

प्रदेश के होमगार्ड कर्मियों की नियमित नियुक्ति हेतु कार्य योजना

34–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या होमगार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड कर्मियों की नियमित नियुक्ति हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है, यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स मंत्री (श्री अक्षयवर गौड़)–

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स संगठन के अवैतनिक सदस्य (स्वयं सेवकों) को नियमित करने हेतु प्रदेश सरकार के पास कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है । होमगार्ड्स संगठन का स्वरूप पूर्णतया स्वयंसेवी है ।

जनपद बांदा/चित्रकूट में जारी शस्त्र लाइसेंसों की जानकारी

35–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा व चित्रकूट में वर्ष 2000–2001 व 2001–2002 में कुल कितने शस्त्र लाइसेंस जारी हुए हैं ? क्या यह सही है कि नाबालिग व अपराधियों को भी शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी विजलेंस से जाँच करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बांदा में वर्ष 2000-2001 में 45 एवं 2001-2002 में 486 तथा जनपद चित्रकूट में वर्ष 2000-2001 में 733 एवं वर्ष 2001-2002 में 2223 शस्त्र लाइसेन्स जारी हुए हैं ।

उक्त दोनों जनपदों में किसी नाबालिग को शस्त्र लाइसेन्स जारी किये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

इसके अतिरिक्त जनपद बांदा में उक्त अवधि में किसी अपराधी को शस्त्र लाइसेन्स जारी किया जाना नहीं पाया गया है । जनपद चित्रकूट में उक्त अवधि में ऐसे छः व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न अपराधिक मुकदमें दर्ज होना प्रकाश में आया है जिन्हें पूर्व में शस्त्र लाइसेन्स जारी हुये थे ।

मामलों की जांच विजिलेन्स से कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आयुध अधिनियम, 1959 के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त मामलों में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 के कार्मिकों की 14 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण करने विषयक जानकारी

36–श्री राम करन आर्य–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 के कितने कार्मिकों ने 14 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, उनमें से कितने को अगला प्रोन्नत वेतनमान रु० 8000–13,500 दिया गया है और कितने कर्मियों का शेष है ? क्या सरकार उन सभी को अगला प्रोन्नति वेतनमान दिलाएगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 के 69 कर्मचारियों ने 14 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, जिनमें से 62 को अगला प्रोन्नति वेतनमान रु० 8000-13,500 स्वीकृत किया जा चुका है । 7 सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 शेष है ।

उक्त सात निरीक्षकों को अगला प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने का निर्णय ले लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

14 प्रोजेक्टों पर अधिक व्यय दिखाये जाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

37–श्री राम करन आर्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 प्रोजेक्ट पर अधिक व्यय दिखाये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से धन वसूली हेतु परगनाधिकारी को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो कितनी धनराशि वसूली की गयी और किस खाता में उक्त धनराशि को जमा किया गया है ? वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर थाना इटवा के निवासियों की सुविधा हेतु कतिपय ग्रामों को डुमरियागंज थाने से सम्बद्ध किये जाने की मांग

38–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम राजपुर, खजुहा, बगहवा, बेलबनवा, घोसिया मय सीरिया बघेल, शाहपुर, कटया मु०, रुद्रौलिया, हरिजोत, बनकेसिया अकोल्हिया, प्रेमपुर, धौरहरा, हथियवा गांव जो इटवा थाना जनपद सिद्धार्थनगर में हैं, के निवासियों को इटवा थाना के लिये 15 से 20 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या जनहित में उक्त ग्रामों को डुमरियागंज थाने से सम्बद्ध किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद हरदोई के 24 थानों की सीमा निर्धारण का कार्य पुनः कराये जाने की मांग

39–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में 24 थानों की सीमा निर्धारण का कार्य क्या पुनः कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जनपद हरदोई के सभी थानों के कार्यक्षेत्र पूर्व में ही निर्धारित हैं ।

जनपद हरदोई के थानों में थाना प्रभारियों की तैनाती में आरक्षण कोटे की जानकारी

40–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के थानों के थाना प्रभारियों की तैनाती में आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद हरदोई में कुल 24 थाने हैं, जिनमें से 10 पर अनुसूचित जाति के 2 पर पिछड़ी जाति के तथा 3 पर अल्पसंख्यक व 9 पर सामान्य जाति के थाना प्रभारी तैनात हैं । पिछड़ी जाति के उपयुक्त उपनिरीक्षक उपलब्ध न होने के कारण उनके लिये आरक्षित पदों को अनुसूचित जाति व जनजाति के उप निरीक्षकों से भरा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

41–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 15–4–2002 जो प्रमुख सचिव, राज्यपाल को सम्बोधित है तथा जो विकास खण्ड जसपुरा जनपद बांदा में सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की टी०ए०सी० टीम भेजकर जांच कराने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच टी० ए० सी० से कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विगत दो वर्षों (1999-2000, 2001-2002) में कार्यदायी संस्था पैक्स फैड द्वारा जनपद बांदा में विभिन्न निधियों से किये गये विकास कार्यों में की गयी अनियमितताओं संबंधी प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

42–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1999–2000, 2001–2002 में कार्यदायी संस्था (एन०जी०ओ०) पैक्स फैड द्वारा जनपद बांदा में विभिन्न निधियों से किये गये विकास कार्यों में की गयी अनियमिताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दि० 15–4–2002 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । मा० सदस्य का संदर्भित पत्र दिनांक 15-4-2002 विशेष कार्याधिकारी (विधायक निधि) को भेजा गया, परन्तु विशेष कार्याधिकारी द्वारा दिनांक 30 जून, 2002 से त्याग-पत्र दे देने के कारण अभिलेखों में पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । प्रकरण की जांच करायी जा रही है । जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सुल्तानपुर/विकास खण्ड जयसिंह ग्राम अमदेवा में सुनिश्चित रोजगार योजना/जवाहर ग्राम सम्वृद्धि योजनान्तर्गत विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

43–श्री सीताराम निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–अमदेवा, विकास खण्ड–जयसिंह, जनपद–सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान को सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम सम्वृद्धि योजना से वर्ष 1997–98, 98–99, 99–2000, 2000–2001 में कितनी धनराशि विकास कार्यों हेतु आवंटित की गयी तथा उक्त धनराशि से कौन–कौन से विकास कार्य कराये गये ? क्या इस सम्बन्ध में आवंटित धनराशि के दुरुपयोग से संबंधित कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद सुल्तानपुर की क्षेत्र पंचायत जयसिंहपुर के ग्राम अमदेवा में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी । जवाहर ग्राम समृद्धि योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी :–

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि
1	1997-98	30,845.00
2	1998-99	35,349.00
3	1999-2000	38,387.00
4	2000-2001	27,648.00

उक्त आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है ।

जनपद स्तर पर उक्त शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी ''ख'' आगे पृष्ठ 69 पर।)

44–श्री दिनेश सिंह–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

45–श्री राम विशुन आजाद–

[1ले शुक्रवार के अता०प्र०सं० 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में थानों की हवालातों में बन्द बंदियों को शौचालय एवं हवा की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

46–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में थानों की हवालातों में बन्द बंदियों को शौचालय उपलब्ध न होने तथा भीषण गर्मी में हवा के अभाव के कारण कठिनाइयां होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार थानों की हवालातों के सुधार हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

थानों में मानक के अनुसार हवालात में सम्बद्ध शौचालयों की सुविधा बन्दियों के उपयोग हेतु उपलब्ध है । हवालातों में हवा की सुविधा हेतु लोहे की सरिया से बने दरवाजे एवं सलाख लगे हुये रोशनदानों की व्यवस्था उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर तहसील बुढ़ाना में विधायक कोटे के अतिरिक्त इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये जाने सम्बन्धी जानकारी

47–श्री राजपाल सिंह–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बुढाना, जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2000–2001 में विधायक कोटे के अतिरिक्त कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये गये और स्थल चयन का आधार क्या था ? क्या यह सही है कि उक्त हैण्ड पम्प सूखाग्रस्त क्षेत्र में लगाने के लिये स्वीकृत किये गये थे परन्तु सूखाग्रस्त क्षेत्र में न लगाकर अन्य स्थान पर लगाये गये ? यदि हां, तो क्या इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

तहसील बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2000-2001 में विधायक कोटे के अतिरिक्त 276 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये गये हैं ।

उक्त हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन ग्राम पंचायतों की जन प्रबन्धन समितियों द्वारा चयनित स्थलों के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

जी नहीं, वर्ष 2000-2001 में सूखा कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई धनराशि स्वीकृत न होने के कारण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर/ग्राम लकड़ा से ग्राम गढ़ीबहादुरपुर/रसूलपुर दिनकरपुर, चान्दपुर व झाघडा तक पाइप लाइन के मानक सम्बन्धी तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ से जांच

48–श्री राजपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम लकड़ा से ग्राम गढ़ीबहादुरपुर व रसूलपुर, दिनकरपुर, चान्दपुर व झाघडा तक पाइप लाइन व ग्राम शोरों में टंकी की पाइप लाइन मानक के अनुसार गहराई पर बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जाँच तकनीकी सलाहकार समिति से करायेगी ?

सुश्री मायावती–

काकड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना वर्ष 99-2000 व शोरों पेयजल योजना वर्ष 98-99 में पूर्ण की गयी थी । पाइप लाइन के मानक के सम्बन्ध में तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ से जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर, विकास खण्ड शाहपुर व विकास खण्ड बुढ़ाना में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को चालू कराने की मांग

49–श्री राजपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शाहपुर व विकास खण्ड बुढ़ाना में कितने हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं ? क्या खराब हैण्ड पम्पों को चालू कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शाहपुर एवं बुढ़ाना में क्रमशः 22 तथा 12 हैण्डपम्प दिनांक 12-7-2002 तक अस्थायी रूप से खराब थे, उक्त हैण्डपम्पों को ठीक कराया जा चुका है ।

विकास खण्ड शाहपुर एवं बुढ़ाना में क्रमशः 18 एवं 32 हैण्डपम्प दिनांक 01-04-2002 तक स्थायी रूप से खराब थे जिसमें से विकास खण्ड शाहपुर में 16 तथा बुढ़ाना में 24 हैण्डपम्पों की रिबोर कराकर ठीक करा दिया गया है । शेष हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पोटा कानून लागू करने के सम्बन्ध में जानकारी

50–कुँ० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में पोटा कानून लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत अब तक कितने लोगों को निरुद्ध किया गया है ?

सुश्री मायावती–

जी हां । पोटा के अन्तर्गत अब तक कुल 22 लोगों को निरुद्ध किया गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का विचाराधीन प्रकरण

51–श्री किरनपाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त बेंच कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ?

सुश्री मायावती–

मा० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का प्रकरण भारत सरकार विधि मंत्रालय के विचाराधीन है ।

उपयुक्तानुसार ।

जनपद बदायूं के थाना फैजगंज में कतिपय पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा एवं प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही

52–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं के आदेश से थाना फैजगंज में केस सं० 87/2001 धारा 7/13/भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत दरोगा श्री जय प्रकाश तथा राकेश तथा 4 सिपाहियों के विरुद्ध दिनांक 12–5–2001 को कायम हुआ था ? क्या उक्त जांच पूरी कर ली गयी है ? यदि हां, तो जांच के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

साक्ष्य के अभाव में अभियोग की विवेचना में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 24-7-2002 को प्रेषित कर समाप्त की जा चुकी है ।

आरोपी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उ० प्र० अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियमावली वर्ष 1991 के नियम 14(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है ।

जनपद लखनऊ, थाना कृष्णानगर, बड़ी मस्जिद आजाद नगर की निवासिनी श्रीमती गुड्डी के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53–श्री संजय गर्ग–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना कृष्णानगर, बड़ी मस्जिद आजादनगर की निवासिनी गुड्डी पत्नी स्व० श्री नाजिरउद्दीन द्वारा गृह सचिव, उ०प्र० शासन को सम्बोधित पत्र जो अपराध संख्या–80/99 धारा–302 भा०दं०वि०सी०वी०नं०–832/98 की पुनः विवेचना कराये जाने के संबंध में है, दिनांक 19 मार्च, 2002 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

आवेदिका का प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-3-2002 (न कि दिनांक 19-3-2002) प्राप्त हुआ है ।

आवेदिका के प्रार्थना-पत्र पर अपराध अनुसंधान विभाग से आख्या मंगायी गयी थी । अपराध अनुसंधान विभाग की पूर्व में प्रेषित आख्या को स्वीकार करते हुए कथित अभियोग की पुनर्विवेचना किसी अन्य विवेचक से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

54–श्री संजय गर्ग–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश शासन के वित्त अनुभाग–2 में समयमान वेतनमान शासनादेश सम्बन्धी प्रकरण

55–श्री आनन्द सेन–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त (वेतन) अनुभाग–2, उ०प्र० शासन के समयमान वेतनमान सम्बन्धी शासनादेश सं०–वे०आ०–2–1658/दस–2001–45(एम)/99, दिनांक 3 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर (2) (क) के अनुसार कर्मचारी की एक ही पद व वेतनमान में 24 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि के पूर्व में प्राप्त सेलेक्शन ग्रेड को भी दो प्रोन्नति वेतनमान/अगला वेतनमान में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सलेक्शन ग्रेड में प्राप्त एक वेतन वृद्धि को दो प्रोन्नति वेतनमान/अगला वेतनमान में गणना किये जाने का औचित्य क्या है ?

सुश्री मायावती–

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, थाना-इनायतनगर, कुमारगंज, खण्डासा में गत वर्ष हुई मार्ग दुर्घटनाओं के पंजीकृत अभियोग पर कृत कार्यवाही

56–श्री आनन्द सेन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना इनायतनगर कुमारगंज, खण्डासा (अमानीगंज) फैजाबाद में वर्ष 2001 से माह जून, 2002 तक कुल कितने मार्ग दुर्घटनाओं के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

थाना इनायत नगर में 26, कुमारगंज में 06 तथा थाना खण्डासा में 03, कुल 35 अभियोग पंजीकृत हुए हैं । सभी 35 अभियोगों में कुल 16 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए, 08 अभियुक्त हाजिर अदालत में हुए, एक अभियुक्त पर 82-83 की कार्यवाही हुई । 25 अभियुक्तों के विरुद्ध चालान/आरोप-पत्र दाखिल हुए, 09 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी तथा एक अभियोग विवेचनाधीन है ।

जनपद सुल्तानपुर के कुछ आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों द्वारा श्री रघुनाथ निवासी ग्राम रेवना, फैजाबाद को जान से मारने की धमकी सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

57–श्री आनन्द सेन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अन्तुपुर व ग्राम पीरो सरैया, थाना कूरेभार, जनपद सुल्तानपुर के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा श्री रघुनाथ, दलित वर्ग, निवासी ग्राम रेवना पूरेलच्छीपुर, थाना इनायतनगर, फैजाबाद को जान से मारने की धमकी, धान की मशीन को जबरन जला

दिये जाने आदि घटना की एफ०आई०आर० दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 21-5-02 को मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

कथित प्रार्थना-पत्र की जांच करायी गई । जांच से पाया गया कि श्री इन्द्रमणि तिवारी पुत्र श्री श्रवण कुमार तिवारी ग्राम लक्ष्मीपुर मौजा रेवना व साहब सरन पाण्डेय पुत्र श्री सालिगराम पाण्डेय ग्राम अन्तुपुर, थाना इनायतपुर आदि के बीच रंजिश चल रही है । चूंकि आवेदक (श्री रघुनाथ) अनुसूचित जाति का व्यक्ति है अतएव श्री इन्द्रमणि तिवारी अपने ट्रैक्टर चालक (श्री रघुनाथ) को आगे करके विपक्षी के विरुद्ध एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराना चाहता था । श्री रघुनाथ ने इस आशय का एक शपथ-पत्र दिया है कि दिनांक 5-5-2002 को उसके साथ कोई घटना नहीं हुई है । उसके नाम से किसी ने फर्जी प्रार्थना-पत्र दिया है ।

थाना इनायतनगर द्वारा उभय पक्षों के विरुद्ध शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा–107/116 जा०फौ० की कार्यवाही कर दिनांक 17-5-2002 को दोनों पक्ष के प्रत्येक व्यक्ति को 30,000/- 30,000/- रुपये की धनराशि से पाबन्द कराया जा चुका है ।

जनपद बलिया ग्राम सभा कुर्हा, तेतरा के वर्तमान प्रधान को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धन के व्यय की जांच

58–श्री राम करन आर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कुर्हा तेतरा के वर्तमान प्रधान को वर्ष 1998–99, 99–2000, 2000–2001, 2001–2002 में कितना धन जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त हुआ है ? उक्त धन का उपयोग कहां-कहां किया गया ? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के लिये दिये गये धन को भवन निर्माण मद में खर्च न करके अपात्र लोगों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

59–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री दिनेश सिंह–

[3सरे शुक्रवार के अता० प्र० सं०–108 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत कोतवाली सदर क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

60–श्री रियाज अहमद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत के कोतवाली सदर क्षेत्र में मादक पदार्थों चरस, स्मैक, गांजा आदि की बिक्री पर रोक लगाने एवं पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही किये जाने हेतु 8 नवम्बर, 2001 को पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० को एक शिकायती-पत्र संयोजक–छात्र संघर्ष समिति, पीलीभीत एवं पूर्व जिलाध्यक्ष–समाजवादी युवजन सभा, पीलीभीत, अमित यादव की ओर से दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जांच से पाया गया कि शि-पतकर्ता श्री अमित सिंह यादव, धर्मेन्द्र मिश्र एवं राजेश ठाकुर थाना कोतवाली, पीलीभीत के बेरोज-र किस्म के युवक हैं जो पूर्व में क्रमशः समाजवादी युवजन सभा, युवक कांग्रेस एवं जनता दल के र्यकर्ता रहे जो अपने आचरण के कारण पार्टियों से निष्कासित कर दिये गये । उक्त व्यक्ति जमी संबंधी विवादों की तलाश में रहते हैं तथा एक पक्ष से मिलकर अपना खर्च चलाते हैं । उनके द्वार मौ० सरायसाम में मुर्गा कोठी के पास नवनिर्मित मकान, जिसमें पुराना पीपल का पेड़ है में कुछ हि- परिवारों को लेकर चहारादीवारी में स्थित पीपल के पेड़ पर पूजा करने का प्रयास किया गया सा- ायिक सौहार्द बिगड़ने की पूर्ण आशंका को देखते हुए दोनों पक्षों (मकान मालिक तथा पूजा अर्चना रने वाले पक्ष) के विरुद्ध धारा–107/116 द०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी । कार्यवाही में अमित सिं यादव व दो अन्य का दि० 11-8-2001 को चालान किया गया तथा न्यायालय नगर मजिस्ट पीलीभीत द्वारा शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पाबंद मुचलकों पर कराया गया ।

श्री अमित सिंह यादव के विरुद्ध लखनऊ से लड़की भगाने का मुकदमा विचाराधीन है तथा थाना-नगढ़ी पर मारपीट एवं गुण्डा ऐक्ट में कार्यवाही की जा चुकी है । उक्त शिकायती-पत्र में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये । स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्व में उक्त अमित सिंह यादव के विरुद्ध की गयी वैधानिक कार्यवाहियों के कारण पेशबन्दी में शिकायत-पत्र दिया जाना प्रतीत हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत तहसील पूरनपुर व बीसलपुर अन्तर्गत पुलिस थानों में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के उपाय

61–श्री रियाज अहमद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–पीलीभीत की तहसील–पूरनपुर व बीसलपुर के अन्तर्गत पुलिस थानों में अपहरण लूट व हत्या कि कितनी घटनायें । जनवरी, 2002 से अब तक हुई हैं ? क्या यह सही है कि पीलीभीत, लखीमपुर व शाहजहांपुर जिलों में अपराधों में वृद्धि हुई ? यदि हां, तो इनकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जनपद–पीलीभीत की तहसील बीसलपुर व पूरनपुर में 1-1-2002 से अब तक निम्नांकित अपराध हुए हैं :–

बीसलपुर	पूरनपुर
हत्या–16	हत्या–10
अपहरण–05	अपहरण–03
लूट–03	लूट–03

जनपद–पीलीभीत के विगत वर्ष से इस वर्ष में उपरोक्त अपराधों में कमी आयी है । बीसलपुर में लूट के अपराध में वृद्धि हुई जिसके अभियुक्तों का पता लगाकर कार्यवाही की गयी है । उपरोक्त रोकथाम हेतु संबंधित थाना प्रभारियों को समय-समय पर निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में गश्त, पिकेट एवं निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

जनपद–शाहजहांपुर में प्रसंगत अवधि में आंशिक वृद्धि हुई है अन्य अपराधों में कमी आयी है अपराधों की रोकथाम हेतु विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गयी है ।

जनपद–खीरी में वर्ष 2002 में प्रसंगत अवधि में निरोधात्मक कार्यवाहियों के फलस्वरूप उपरोक्त अपराधों में कमी आयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

62–श्री रियाज अहमद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–पीलीभीत की कोतवाली सदर क्षेत्र में 19 मार्च, 2002 को सरेआम मो० भूरे खां निवासी मोहम्मद मियां के घर में घुसकर बदमाशों ने उनको गोली मारी व उनकी पत्नी व पिता को घायल कर दिया जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है ? उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही सही है कि थाना कोतवाली–पीलीभीत की अपराधिक वारदातें बढ़ गयी हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

इस संबंध में श्रीमती महरून निशा पत्नी मो० मियां, नि० मो० भूरे खां थाना–कोतवाली, पीलीभीत की दि० 19-3-2002 को लिखित सूचना के आधार पर मु०अ०सं०–223/2002 धारा–452/323/307 भादवि चार व्यक्ति का नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ है ।

अभियोग की विवेचना में धारा 452/323/307 भादवि से धारा–393 भादवि में तरमीन किया गया है ।

विवेचना में तीन व्यक्ति अब्दुल मुकीम उर्फ भूरा, अकील व कय्यूम के नाम प्रकाश में आये । अब्दुल मुकीम व अकील को क्रमशः दि० 26-4-2002 व 11-5-2002 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । विवेचना प्रचलित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

"उ० प्र० पुलिस जर्नल पत्रिका" को क्रय करने हेतु अनुमति सम्बन्धी आदेश

63-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "उ०प्र० पुलिस जर्नल पत्रिका" पुलिस विभाग में राजकीय कोष से क्रय किये जाने पर पुलिस महानिदेशक उ०प्र० ने परिपत्र संख्या-36/85 दिनांक 31-7-85 द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पत्रिका को पुलिस विभाग के लिये क्रय करने हेतु अनुमति सम्बन्धी आदेश देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

पुलिस मुख्यालय उ० प्र० इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार "उ० प्र० पुलिस जर्नल पत्रिका" राजकीय पत्रिका नहीं है । उ० प्र० पुलिस जर्नल पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पुलिस विभाग के लिए लाभप्रद न होने के कारण तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के परिपत्र सं०-36/85, दिनांक 31-7-85 में राजकीय कोष से उक्त पत्रिका को क्रय न किये जाने हेतु निर्देश दिए गये थे ।

जी नहीं ।

वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-970/10-96-24 (7)-95, दिनांक 28 जून, 96 के संलग्नक में दिए गये वित्तीय अधिकारों के अनुसार अपने कार्यालयों के लिए पत्रिकाएं क्रय करने का पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष को है । इससे पूर्व भी शासकीय आदेश संग्रह/वित्तीय नियम संग्रह एवं शासनादेश संख्या-ए-2-2629/दस-84, दिनांक 01 जनवरी, 1985 व वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 क्रमांक-2 के शासनादेश संख्या : 0406/आठ-7-329-76, दिनांक 29-01-83 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अपने कार्यालयों के लिए पत्रिकाओं आदि का क्रय का पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष को है, जो अपने विवेक एवं उपयुक्तता का ध्यान रखते हुए निर्णय लेते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी की निवासिनी श्रीमती रामरानी के पति की हत्या सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

64-श्री किशन लाल बघेल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती रामरानी पत्नी स्व० श्री अमर कुमार निवासी-गौरिया का पुरवा, मसरे-दुदीपुर, थाना-लोनीकटरा, जनपद बाराबंकी का शिकायती-पत्र दिनांक 20-6-2002 जो उनके पति श्री अमर कुमार की हत्या के सम्बन्ध में था, श्री मदन सिंह, विधायक के उपरिपत्र सहित प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां । परन्तु कथित शिकायती-पत्र प्राप्त होने से पूर्व इस घटना की जानकारी श्रीमती रामरानी के जेठ श्री रामकुमार यादव निवासी गौरिया का पुरवा, थाना लोनीकटरा, जनपद बाराबंकी की तहरीरी सूचना दिनांक 3-5-2002 के आधार पर मु०अ०सं० 71/2002 धारा-304 भा०दं०वि० पंजीकृत किया

गया । विवेचना से दोषी पाये गये दो अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार किया गया तथा एक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया ।

जनपद एटा में सूचीबद्ध गिरोह से सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा बल तथा आधुनिक शस्त्र उपलब्ध कराने की मांग

65–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में कितने सूचीबद्ध गिरोह हैं ? क्या यह सत्य है कि जनपद में कलुआ गिरोह के आतंक के कारण आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग पलायन करने को मजबूर हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था एवं आधुनिक शस्त्र उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद एटा में 08 सूचीबद्ध गिरोह हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ग्राम सभा जासू, विकास क्षेत्र बेंहदर में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत विभिन्न परिवारों को धन आवंटित करने सम्बन्धी जानकारी

66–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा जासू, विकास क्षेत्र बेंहदर, जनपद हरदोई में वर्ष 2001 से मई 2002 तक इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कुल कितने परिवारों को अलग-अलग कितना धन आवास हेतु दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ग्राम सभा जासू, विकास क्षेत्र–बेंहदर, जनपद हरदोई के राजस्व ग्राम–पिंजरावां में वर्ष 2001 से मई, 2002 तक इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 4 परिवारों को 20–20 हजार रुपये एवं 2 परिवारों को 10–10 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती थाना सोनहा, असनहरा में नया थाना खोले जाने का विचाराधीन प्रस्ताव

67–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के थाना सोनहा के क्षेत्रफल को देखते हुए असनहरा में कोई नया थाना खोले जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो थाना कब तक खोल दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस लाइन के आवासों/बैरकों में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की मांग

68–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस लाइन के आवासों एवं बैरकों में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या तत्काल ओवर हेड टैंक की व्यवस्था करते हुए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

सिद्धार्थनगर पुलिस लाइन में पुलिस आवास निगम द्वारा एक ट्यूबवेल स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा आवासीय/अनावासीय भवनों हेतु जलापूर्ति की व्यवस्था की गयी है । उक्त पुलिस लाइन में नगरीय जलापूर्ति की व्यवस्था शून्य है ।

ओवर हेड टैंक का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त होने पर परीक्षणोरान्त धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही की जाती है ।

69–श्री श्याम सिंह–

[1ले गुरुवार के अता० प्र० सं० 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा, विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत अपूर्ण मार्गों को पूर्ण कराने की मांग

70–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995 से 1999 तक स्वीकृत किन-किन मार्गों पर कार्य करवा दिया गया है तथा कितने मार्ग अभी अपूर्ण हैं ? उक्त अपूर्ण मार्गों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 से वर्ष 1999 तक कुल 96 मार्ग स्वीकृत हैं, जिसमें से 60 मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 36 मार्ग अपूर्ण हैं । कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है ।

अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में सुनिश्चित रोजगार को समाप्त करते हुये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को 30 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों को तथा 20 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायत को अवमुक्त की जा रही है । त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थायें ही कार्य योजना बनाकर कार्य कराने में सक्षम हैं । संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को इन सम्पर्क मार्गों को अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 70–74 पर ।)

71–श्री राम विशुन आजाद–

[2सरे गुरुवार के अता० प्र० सं० 112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में कलुआ गैंग को समाप्त करने की मांग

72–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कलुआ गैंग, थाना सिकन्दरपुर वैश्य एटा, बदायूं, शाहजहांपुर जनपदों की सीमा में गंगा की तराई में टेन्ट लगाकर एक ही स्थान पर रहकर वारदातें कर रहा है ? यदि हां, तो उक्त गिरोह को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

कलुआ गैंग शाहजहांपुर जनपद में सूचीबद्ध है जिसे समाप्त करने हेतु जनपद एटा के पटियाली क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारियों को सतर्क कर दिया गया है एवं थाना सिकन्दरपुर वैश्य के गांव सनौढ़ी में एक प्लाटून पी०ए०सी० कैम्प भी करायी गयी है । इसके अतिरिक्त जनपद शाहजहांपुर, एटा व बदायूं में जनपदीय पुलिस/पी०ए०सी० बल द्वारा लगातार सघन तलाशी (कामम्बिग) हेतु दबिश दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच सम्बन्धी जानकारी

73–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर ने करायी है ? क्या यह सत्य है कि दिवूली से सोनबरसा तक के सम्पर्क मार्ग पर बिना कोई कार्य कराये ही खण्ड विकास अधिकारी, इटवा एवं कर्मचारियों द्वारा 1,67,000/–(एक लाख सड़सठ हजार) रुपया निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

74–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा में पैक्स फेड द्वारा कराये गये कार्यों की जांच

75–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1999-2000, 2001-2002 में कार्यदायी संस्था (एन०जी०ओ०) पैक्स फेड द्वारा जनपद बांदा में विकास कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या प्रश्नकर्ता का उक्त कराये गये कार्यों के संबंध में कोई शिकायती-पत्र 15-4-2002 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

पैक्स फेड कार्यदायी संस्था द्वारा विधायक निधि योजनान्तर्गत कुल 13 कार्य रु० 18.549 लाख के कराये गये है ।

जी हां । मा० सदस्य का संदर्भित पत्र दिनांक 16-4-2002 को विशेष कार्याधिकारी (विधायक निधि) को भेजा गया, परन्तु विशेष कार्याधिकारी द्वारा दिनांक 30 जून, 2002 से त्याग-पत्र दे देने के कारण अभिलेखों में पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । प्रकरण की जांच करायी जा रही है । जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सिद्धार्थनगर में विधायक निधि द्वारा कराये गये कार्यों की जांच तथा दोषी कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

76–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में वित्तीय वर्ष 2000-2001, 2001-2002 में विधायक निधि से कराये गये कार्यों की जांच मुख्य विकास अधिकारी द्वारा करायी गयी थी ? क्या यह सही है कि कुछ सड़कों पर मानक से निम्न स्तर के कार्य पाये गये थे ? यदि हां तो दोषी कार्यदायी संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जिन परियोजनाओं पर कार्य मानक से निम्न स्तर का पाया गया उसके सापेक्ष धनराशि कार्यदायी संस्था से वसूल कर ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में अम्बेडकर आवासों के आवंटन/निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच का प्रकरण

77–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कुर्हा तेतरा एवं ग्राम सभा बहुता चक उपाध्याय के वर्तमान ग्राम प्रधानों द्वारा अम्बेडकर आवासों के आवंटन एवं निर्माण में अनियमितताएं की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद फतेहपुर राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष श्री शिव कुमार पाण्डेय के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

78–श्री स्वामी ओइम्वेश–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी०सी०एफ० अध्यक्ष द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं धन की हेराफेरी से संबंधित श्री शिव कुमार पाण्डेय, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल, फतेहपुर का शिकायती-पत्र दिनांक 13-6-2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

जी हां, प्रश्नगत पत्र शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 27-7-2002 को अपर निबन्धक (असेम्बली), सहकारी समितियां, उ० प्र०, लखनऊ को स्वयं हस्तगत कराया गया ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फतेहपुर के मलवा–बहुउद्देशीय विपणन सहकारी समिति लि० द्वारा किसानों का धान क्रय करने सम्बन्धी जानकारी

79–श्री स्वामी ओइम्वेश–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष 2002 में पी०सी०एफ० द्वारा स्वीकृत मलवा–बहुउद्देशीय विपणन सहकारी समिति लि० द्वारा धान क्रय केन्द्र मुसाफा, जिला फतेहपुर में कितने किसानों का धान क्रय किया गया है ? उन किसानों को धान मूल्य का भुगतान कितनी धनराशि का किया गया है ? क्या उक्त भुगतान एवं खरीद सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

मलवा–बहुउद्देशीय विपणन सहकारी समिति लि० द्वारा 330 किसानों से धान क्रय किया गया ।

330 किसानों को उनके धान मूल्य का मु० 99,37,500.00 का भुगतान कर दिया गया है ।

जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि० द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीदे गये धान का भुगतान

80–श्री समरपाल सिंह तथा श्री राजपाल सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर ने किसान सेवा सहकारी समिति लि० जोनीहा फतेहपुर द्वारा चालू वर्ष 2002 में मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत कितना धान खरीदा गया है ? क्या खरीदा गया धान पी०सी०एफ० को डिलीवर कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त धान मूल्य का भुगतान पी०सी०एफ० द्वारा समिति को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

चालू वर्ष 2002 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 11992.55 कुन्तल धान जोनीहा किसान सेवा सहकारी समिति द्वारा खरीदा गया है ।

खरीदा गया धान पी० सी० एफ० एवं धान मिलों के मध्य अनुबन्ध के अनुसार समिति द्वारा धान मिल को डिलीवर किया जाता है । जोनीहा किसान सेवा सहकारी समिति को शारदा राइस मिल द्वारा 3582 कुन्तल एवं शिव राइस मिल द्वारा 735 कुन्तल धान की डिलीवरी के चालान दिये गये हैं । शेष 7675.55 कुन्तल धान की डिलीवरी विवादित है । जिसकी जांच की जा रही है ।

पी०सी०एफ० द्वारा जोनीहा समिति को मु० 51.50 लाख रु० का भुगतान कर दिया गया है । मु० 12.06 लाख रु० का भुगतान करना शेष है ।

जोनीहा समिति एवं पी०सी०एफ० व शारदा राइस मिल के मध्य विवाद होने के कारण उक्त विवाद के निपटारे के बाद ।

पी०सी०एफ० द्वारा संचालित मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान क्रय केन्द्रों द्वारा की गयी अनियमितताओं संबंधी प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

81–श्री समरपाल सिंह तथा श्री राजपाल सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी०सी०एफ० द्वारा संचालित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय केन्द्रों द्वारा की गयी अनियमितताओं से संबंधित श्री अनिल कुमार गुप्ता, बिन्दकी, फतेहपुर का शिकायती-पत्र फैक्स दिनांक 18-6-02 सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र में प्रश्नगत समिति के संबंध में जांच कराई गई, इसी प्रकरण में जिलाधिकारी, फतेहपुर के आदेश के क्रम में पूर्व में ही दोषी पाये गये प्रबन्ध निदेशक, किसान सेवा सहकारी समिति लि०, जोनिहा, श्री सोहन लाल विश्वकर्मा को निलम्बित किया जा चुका है तथा दोषी शारदा राइस मिल बिन्दकी का लाइसेन्स निलम्बित हो चुका है एवं जिला प्रबन्धक, पी०सी०एफ०, फतेहपुर, अधीक्षक, पी०सी०एफ०, फतेहपुर एवं गणक, पी०सी०एफ०, फतेहपुर को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में टाप 10 (दस) अपराधियों की सूची

82–श्री अजीम भाई–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में टाप 10 (दस) अपराधियों की सूची बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपराधों के वर्गीकरण के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही निरन्तर चलती रहती है, जो एक सतत प्रक्रिया है । समय-समय पर इनके विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाता है । जिसके सार्थक परिणाम सामने आते हैं ।

जनपद सिद्धार्थनगर, थाना मिश्रौलिया, ग्राम गौरडीह के टोला ऊंचडिहवा में नफीस के घर में पड़ी डकैती के पंजीकृत मुकदमें के परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी

83–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मिश्रौलिया के ग्राम गौरडीह के टोला ऊंचडिहवा में 14/15 फरवरी, 2002 को नफीस के घर में डकैती पड़ी थी जिसमें अपराध सं०–35/2002 धारा 395, 397 पंजीकृत हुआ था, जिसे दिनांक 17-02-2002 को धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307 में स्थानीय थानाध्यक्ष द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके परिवर्तित होने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर गलत ढंग से मुकदमें को परिवर्तित करने वाले थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

विवेचना से विवेचक द्वारा गवाहान के बयानात मजरुवान के बयानात निरीक्षण घटना स्थल व अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही से घटना केवल मार-पीट की पायी गयी जिसके आधार पर विवेचक द्वारा दिनांक 17-2-2002 की धारा 395/397 भा० दं० वि० का अपराध न पाकर धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307 भा० दं० वि० की धारा में परिवर्तित कर दिया गया जिसमें चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या–39 दिनांक 4-5-2002 को मा० न्यायालय में प्रेषित है जो विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड इटवा के प्रधान द्वारा अनियमित रूप से चार व्यक्तियों के नाम आवास आवंटित कराने व लाभार्थियों से धन वसूली विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

84–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड इटवा के ग्राम सभा इटवा के प्रधान द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 में चार इन्दिरा आवास अपनी पुत्रवधू श्रीमती किरन पत्नी माधव प्रसाद (वर्तमान प्रधान) तथा श्रीमती शान्ति पत्नी उदयराज, तत्कालीन प्रधान के पुत्रवधू व श्रीमती सीता पत्नी पंचमराम पूर्व प्रधान की पुत्री तथा श्रीमती भानमती पत्नी कृष्णपाल तत्कालीन प्रधान की पुत्री के नाम आवंटित किये गये थे क्या इन लोगों ने बिना मकान बनाये रुपया भी निकाल लिया था ? क्या तहसीलदार इटवा द्वारा जांच कराये जाने पर उक्त आवासों के निर्माण फर्जी पाये जाने पर उक्त व्यक्तियों से धन वसूली का आदेश निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त वसूली कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां । तहसीलदार इटवा द्वारा की गई जांच आख्या प्रधान द्वारा अनियमित रूप से अपने परिवार के चार व्यक्तियों को आवास आवंटित किये जाने का उल्लेख करने के आधार पर इन लाभार्थियों से धनराशि की वसूली हेतु आदेश निर्गत किये गये ।

वसूली आदेश के विरुद्ध लाभार्थियों द्वारा मा० न्यायालय में वाद योजित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के थाना सोनहा को थाना रुधौली से सम्बद्ध करने विषयक प्रस्ताव

85–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत थाना–रुधौली से दो किमी० दूर के सभी गांव जो सगरा न्याय पंचायत के अन्तर्गत आते हैं थाना सोनहा, जनपद बस्ती 20 किमी० से अधिक दूरी पर है ? यदि हां, तो क्या उन्हें थाना रुधौली से सम्बद्ध किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

परन्तु सगरा न्याय पंचायत के गांव थाना रुधौली से दो किमी० नहीं अपितु 12 किमी० एवं अधिक है ।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद हरदोई के सांडी ब्लाक में अम्बेडकर ग्राम जसमई को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

86–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के सांडी ब्लाक में 1994-95 में घोषित अम्बेडकर ग्राम जसमई को क्या मुख्य सड़क से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

ग्राम जसमई, ब्लाक सांडी, जिला हरदोई अभी तक किसी भी वर्ष में अम्बेडकर ग्राम चयनित नहीं है और न ही अभी तक सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई, ब्लाक हरपालपुर के चयनित अम्बेडकर गांव ठकपुरा को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

87–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के ब्लाक हरपालपुर में वर्ष 1994-95 में चयनित अम्बेडकर गांव ठकपुरा को क्या मुख्य सड़क से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

वर्ष 95-96 में चयनित अम्बेडकर ग्राम ठकपुरा के लिए मार्ग पर खुमरिया नाला पर सेतु न होने के कारण सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं हो सका है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद लखनऊ तहसील सदर अन्तर्गत शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र एवं शस्त्र लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी जानकारी

88–श्री राकेश वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद–लखनऊ, तहसील–सदर, लखनऊ के अन्तर्गत कितने शस्त्र लाइसेन्स हेतु आवेदन-पत्र जनवरी, 2001 में प्राप्त हुये हैं ? क्या सभी आवेदकों को शस्त्र लाइसेंन्स जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त शस्त्र लाइसेन्स कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती–

तहसील सदर, लखनऊ के अन्तर्गत माह जनवरी, 2001 में कुल 608 शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ।

जी नहीं ।

बहुसंख्य प्रकरणों में आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

शस्त्र लाइसेन्सों की स्वीकृति, आवेदन-पत्र पर सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने तथा तदोपरान्त आयुध अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदक को शस्त्र लाइसेंस की वास्तविक आवश्यकता के आंकलन पर निर्भर करती है । अतः इस बारे में कोई सुनिश्चित समयावधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद, थाना इनायतनगर, खंडासा/कुमारगंज में हत्या व डकैती के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री आनन्द सेन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद के थाना इनायतनगर, खंडासा एवं कुमारगंज में डकैती एवं हत्या के कितने अपराध जनवरी, 2001 से जून, 2002 तक घटित हुए ? उक्त घटनाओं में कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

थाना इनायतनगर, खंडासा एवं कुमारगंज में डकैती के 04 तथा हत्या के 22 मुकदमें दर्ज हुए हैं । तीनों थानों में डकैती में 13 अभियुक्तगण गिरफ्तार किये गये तथा 18 हाजिर अदालत हुए हैं एवं हत्या में तीनों थानों में 32 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए तथा 27 अभियुक्तगण हाजिर अदालत हुए हैं । तीनों थानों में डकैती में 23 चालान तथा हत्या में 62 चालान प्रेषित किये गये हैं ।

जनपद फैजाबाद में दलित उत्पीड़न के पंजीकृत अभियोगों में कृत कार्यवाही

90–श्री आनन्द सेन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद में दलित उत्पीड़न के कितने अभियोग माह जनवरी, 2001 से जून; 2002 तक पंजीकृत किये गये हैं ? उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा कितने मामलों में कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

250 अभियोग ।

सभी पर कार्यवाही की गई ।

1–200 मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया ।

2–38 मामले खारिज ।

3–12 अभियोग विवेचनाधीन हैं ।

4–200 अभियोगों में आर्थिक सहायता की संस्तुति की गई जिसमें 135 मामले में आर्थिक सहायता प्राप्त हो चुकी है ।

जनपद सिद्धार्थनगर अन्तर्गत डुमरियागंज विकास खण्ड के पांच न्याय पंचायतों को अलग कर एक नया विकास खण्ड खोले जाने की मांग

91–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के अन्तर्गत डुमरियागंज विकास खण्ड के पांच न्याय पंचायतों को अलग करके एक नया विकास खण्ड भवानीगंज के नाम से खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका गठन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जिला सुल्तानपुर ग्राम-कपासी, ब्लाक जामों के निवासी श्री बसीक पुत्र नियायत द्वारा लिये गये फर्जी ऋण की ब्याज सहित अदायगी विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

92–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक निबंधक सहकारी समितियां सुलतानपुर को सम्बोधित बसीक पुत्र नियायत ग्राम कपासी ब्लाक जामों सुलतानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-4-02 जिसमें बगैर सदस्यता के फोटो लगाकर फर्जी ऋण निकालने की शिकायत है तथा जिसकी जांच सहायक

निबन्धक के पत्र दिनांक 4 मई, 2002 द्वारा सहायक विकासअधिकारी सहकारिता, जामों से कराने के निर्देश है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

जी हां ।

जांच कराई गयी, शिकायत निराधार पायी गयी । वसीक का वास्तविक नाम मु० हनीफ है और उसने मु० हनीफ के नाम से दिनांक 20 फरवरी, 1992 को मु० 5 00.00रुपया ऋण लिया है जो ब्याज सहित मु० 14,063.00 हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के गैसड़ी/पचपेड़वा क्षेत्र पंचायतों के समस्त अम्बेडकर गांवों को पक्के सम्पर्क मार्गों को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

93–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत गैसड़ी एवं पचपेड़वा क्षेत्र पंचायतों के समस्त अम्बेडकर गांवों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त गांवों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

बलरामपुर जनपद में गैसड़ी एवं पचपेड़वा क्षेत्र पंचायतों के प्रारम्भ से लेकर 2001-2002 तक चयनित 60 अम्बेडकर ग्रामों में से 33 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जा चुका है तथा 10 अम्बेडकर ग्राम वन क्षेत्र में होने के कारण नहीं जोड़ा जाना है तथा 5 अम्बेडकर ग्राम के लिये स्वीकृति हो गई है तथा शेष 12 ग्रामों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार धनावंटन प्राप्त होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में पेयजल संकट के निराकरण हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

94–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में सांसद निधि की भांति विधायक निधि से भी पेयजल संकट के निराकरण हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक निधि योजना के अन्तर्गत मा० विधायकगण प्रस्तावों के अनुसार हैण्डपम्प लगाये जाते हैं ।

जनपद फैजाबाद थाना इनायतनगर कुमारगंज खण्डासा से पंजीकृत दलित उत्पीड़न सम्बन्धी अभियोगों की जानकारी

95–श्री आनन्द सेन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अल्कीपुर जनपद फैजाबाद में स्थित थाना इनायतनगर, कुमारगंज तथा खण्डासा में माह जनवरी, 2001 से जून, 2002 तक दलित उत्पीड़न के कितने अभियोग पंजीकृत किये गये हैं तथा कितने अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किये गये हैं ?

सुश्री मायावती–

कुल 58 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं ।

1–थाना इनायतनगर–32

2–थाना कुमारगंज–10

3–थाना खण्डासा–16

1–थाना इनायतनगर में विवेचनोपरान्त 26 में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया तथा 4 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई, 2 अभियोग विवेचनाधीन हैं ।

2–थाना कुमारगंज में 7 अभियोगों में आरोप-पत्र/2अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट/1 अभियोग विवेचनाधीन है ।

3–थाना खण्डासा में 11 अभियोगों में आरोप-पत्र/5 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट ।

जनपद बलरामपुर अन्तर्गत गैसड़ी/पचपेड़वा के समस्त अम्बेडकर गांवों का विद्युतीकरण

96–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत गैसड़ी एवं पचपेड़वा क्षेत्र पंचायतों के समस्त अम्बेडकर गांवों का सम्पूर्ण विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक उक्त गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण करायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

वर्ष 1990-91 से 2001-2002 तक क्षेत्र पंचायत गैसड़ी एवं पचपेड़वा में चयनित 60 अम्बेडकर ग्रामों में से 39 ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है। तीन ग्रामों में धनराशि प्राप्त हो गई है। शेष 18 ग्रामों के लिए धनराशि उपलब्ध होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

विधायक निधि अन्तर्गत धनराशि व्यय करने सम्बन्धी दिशा निर्देशों की जानकारी

97–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निधि खर्च करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश क्या हैं ? क्या उक्त दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या-क्या हैं ?

सुश्री मायावती–

विधायक निधि के अन्तर्गत धनराशि व्यय करने सम्बन्धी दिशा निर्देशों की अद्यतन संशोधित †प्रति संलग्न है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के राम खेलावन पासी की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ का प्रकरण

98–श्री कौशल किशोर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 22 जून, 2001 को ग्राम दखिलवल, थाना–अतरौली, जनपद–हरदोई से राम खेलावन पासी को तत्कालीन थानाध्यक्ष–माल, जनपद–लखनऊ, पकड़कर ले गये और दिनांक 23 जून, 2001 को थाना–मोहनलालगंज, लखनऊ के क्षेत्र में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या कर दी गयी ? क्या उक्त प्रकरण में अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग द्वारा की गयी जांच में उन्हें दोषी पाया गया ? यदि हां, तो क्या दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। सूचना के अनुसार दिनांक 24-6-2001 को समय 1–15 ए०एम० पर राम खेलावन पासी पुत्र कटिले निवासी रामपुर थाना माल, लखनऊ, मूल-पता ग्राम दखिलवल थाना अतरौली हरदोई पुलिस मुठभेड़ में पुरानी कैनाल कालोनी ग्राम चिरैयाबाग के पास मारा गया था।

जी नहीं। अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग द्वारा प्रकरण की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रकरण की जांच सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा प्रचलित है। सी०बी०सी०आई०डी० जांच आख्या प्राप्त होने पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद बलरामपुर अन्तर्गत कोतवाली गैसड़ी में श्री फसीउद्दीन खां, तारीक मलिक आदि के विरुद्ध दर्ज मुकदमें की जानकारी

99–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कोतवाली गैसड़ी में 31 दिसम्बर, 2001 को श्री फसीउद्दीन खां, तारीक मलिक आदि लोगों के विरुद्ध बिना जिलाधिकारी की संस्तुति के गैंगेस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुकदमे को वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

दिनांक 29-12-2000 को थाना कोतवाली, गैसड़ी जनपद बलरामपुर में फसीउद्दीन खां आदि 25 व्यक्तियों के विरुद्ध मु०अ०स० 174/2000 धारा 147/148/307/427/332/504 भा० दं० वि० व 7 क्रि०ला०अते० एक्ट व 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर ऐक्ट पंजीकृत किया गया ।

ऐसा कोई प्रकरण शासन में विचाराधीन नहीं है ।

इस मामले में विचारोपरान्त आरोप-पत्र दिनांक 11-1-2001 व 25-1-2001 को प्रस्तुत किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

जनपद बांदा बुन्देलखण्ड विकास निधि अन्तर्गत आर०ई०एस० विभाग द्वारा निर्मित सी०सी० रोड के कार्य की जांच

100–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2001-2002 में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत आर० ई० एस० विभाग द्वारा जौहरपुर फतेहपुर रोड से देवरा पेंटिंग कार्य तथा पुरानी तिन्दवारी में खड़न्जा, नाली व सरवन डेरा में जल निकासी तथा बरेठी कलां में सी० सी० रोड, कमनौड़ी खड़न्जा, मटौध थाने के बगल से सी० सी० रोड कार्य हुए हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मानक आगणन के अनुसार कार्य नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य की जांच करायेगी ?

श्री कौकब हमीद–

जी हां ।

कार्य आगणन के अनुरूप हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

101–श्री रियाज अहमद–

[1ले गुरुवार में अता०प्र०सं०–112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद थाना इनायतनगर, कुमारगंज/खण्डासा में दर्ज दलित उत्पीड़न सम्बन्धी मुकदमों की जानकारी तथा पीड़ित को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

102-श्री आनन्द सेन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-इनायतनगर, कुमारगंज एवं खण्डासा, जनपद-फैजाबाद में जनवरी, 2001 से जून, 2002 तक दलित उत्पीड़न के कितने मुकदमें दर्ज हुए हैं ? उक्त मुकदमों में कितने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

कुल 58 मुकदमें दर्ज हुए हैं ।

1-थाना इनायतनगर-32

2-थाना कुमारगंज-10

3-थाना खण्डासा-16

1-थाना इनायतनगर में 28 अभियोगों में सहायता की संस्तुति की गई । 21 अभियोगों में सहायता प्राप्त हुई । 7 अभियोगों में सहायता मिलना शेष है ।

2-थाना कुमारगंज में 7 अभियोगों में संस्तुति/3 अभियोगों में सहायता प्राप्त । 4 में सहायता मिलना शेष । ।

3-थाना खण्डासा में 11 अभियोगों में सहायता की संस्तुति/8 अभियोगों में सहायता प्राप्त/ 3 अभियोगों में सहायता मिलना शेष ।

जनपद गोण्डा में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों को निर्मित कराने की मांग

103-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2000 से मार्च, 2002 तक प्रधानमंत्री सड़क योजना में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं, उनमें से विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की कौन-कौन सी सड़कें हैं ? क्या उन सड़कों पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ?

सुश्री मायावती-

जनपद गोण्डा में वर्ष 2000 से मार्च, 2002 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कुल 21 सड़कें स्वीकृत की गयी ।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की निम्नलिखित 07 सड़कें स्वीकृत हैं तथा उन पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

1-मसकनवां बभनान मार्ग से बीरपुर ।

2-मसकनवां बौराचौकी मार्ग से मोरही ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3–शीतलपुर बासदेवनगर ग्रन्ट से भरौटी ।

4–रानीपुर भवाईजीतपुर मार्ग से पुरवा फमीहा ।

5–मकोइया महराजगंज मार्ग से तिलया ।

6–एम० एम० बी० मार्ग से नरायनपुर ।

7–राजापुर लिंक मार्ग ।

क्रमांक 1 से 3 तक सड़कों का निर्माण कार्य 24-1-2003 तक, क्रमांक 4 से 6 तक मार्गों का निर्माण कार्य दिनांक 29-4-2003 तक तथा क्रमांक 7 का निर्माण कार्य दिनांक 3-4-2003 तक कार्य की अनुबन्धित अवधि में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ।

जनपद लखनऊ में महिलाओं की चेन स्नेचिंग की घटनाओं की रोकथाम के उपाय

104–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में महिलाओं के गले से चेन खींचने की कितनी घटनाएं 1 जनवरी, 2002 से जून, 2002 तक थानों में दर्ज की गईं ? सरकार ने इन घटनाओं की रोकथाम हेतु क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 1-1-2002 से 30-6-2002 की अवधि में महिलाओं के गले से चेन खींचने की 19 घटनायें लखनऊ के विभिन्न थानों में दर्ज की गयी हैं ।

चेन स्नेचिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु लखनऊ शहर के प्रत्येक थाने में एक-एक टीम गठित की गयी है तथा प्रत्येक थाना क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार प्रभावित क्षेत्रों में चेतक व बीट मोबाइल की बीट निर्धारित कर प्रभावी चेकिंग करायी जा रही है । जनपद के सभी अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रभावी गश्त/चेकिंग कर इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगायें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर ग्राम भवानीपुर थाना मड़ियान, पुलिस मुठभेड़ की जांच

105–श्री परमेश्वर दयाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 मार्च, 2001 ग्राम भवानीपुर, थाना मड़ियान जनपद मिर्जापुर में पुलिस द्वारा देवनाथ व लालब्रत कोल मारे गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उक्त प्रकरण की मैजिस्ट्रीयिल जांच कराई जा चुकी है । जांच में पुलिस नक्सली मुठभेड़ को सही पाया गया है । किसी भी पुलिस कर्मी का दोष सिद्ध नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ थाना गुड़म्बा अन्तर्गत कल्याणपुर निवासी श्री शिव कुमार शुक्ला पर प्राणघातक हमला सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

106-श्री छोटे लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के थाना गुड़म्बा अन्तर्गत कल्याणपुर निवासी श्री शिव कुमार शुक्ला पर प्राणघातक हमला संबंधी एक शिकायती-प्रार्थना-पत्र जो श्री शिव कुमार शुक्ला, प्रेम कुमार आदि लोगों द्वारा दिनांक 23-6-2002 को चौकी प्रभारी मोहम्मदपुर खत्री थाना गुड़म्बा, लखनऊ को एवं थानाध्यक्ष गुड़म्बा को दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत थाना अमरिया में सर्राफ मन्सूर अहमद की दुकान में चोरी की जांच कर रहे पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही

107-श्री रियाज अहमद-

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि जनपद-पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के अमरिया में 25 दिसम्बर, 2001 को सर्राफ मन्सूर अहमद की दुकान में चोरी होने का मुकदमा दर्ज किया गया ? क्या यह सही है कि बिना जांच किये पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई ? क्या यह भी सही है कि जनपद-बरेली के थाना देवरनया द्वारा एक अन्य अपराध में बदमाशों को पकड़ने पर मन्सूर की दुकान चोरी हुई सेफ का माल बरामद किया गया तथा पुनर्विवेचना के दौरान उप जिलाधिकारी पीलीभीत की न्यायालय में मन्सूर द्वारा अपने सेफ की शिनाख्त की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार थाना अमरिया के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी नहीं । अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक, श्री ओम प्रकाश तिवारी द्वारा की गयी । विवेचक द्वारा मय जुर्म खारिजा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिसे क्षेत्राधिकारी, जहानाबाद द्वारा रोककर विवेचना पुनः थानाध्यक्ष जहानाबाद को सुपुर्द की गयी । वर्तमान में अभियोग की विवेचना पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार उप निरीक्षक थाना-अमरिया को सुपुर्द की गयी है । विवेचना प्रचलित है ।

जी हां ।

उक्त प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले विवेचनाधिकारी के विरुद्ध जांच की जा रही है। जांच के परिणाम के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा विकास खण्ड जैथरा एवं अलीगंज में प्रधान मंत्री सड़क योजना में मुख्य सम्पर्क मार्गों को जोड़ने के संबंध में कराये गये कार्यों की जानकारी

108–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि एटा जनपद के विकास खण्ड जैथरा एवं अलीगंज में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत, मुख्य सड़क मार्ग से ग्रामों को जोड़ने हेतु निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? क्या मानक के विपरीत बड़ी जनसंख्या वाले ग्रामों को उक्त योजना का लाभ न देकर कम जनसंख्या वाले ग्रामों में मजरा की जनसंख्या को जोड़कर निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मानक के विरुद्ध सड़कों का चयन करने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सड़कों के पुनः चयन करने का निर्देश देने पर विचार करेगी ? सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के विकास खंड जैथरा एवं अलीगंज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों का अनुमोदन जिला पंचायत की खुली बैठक में किया गया। कोई भी अनजुड़ी आबादी ऐसी नहीं ली गयी है, जो मानक के विरुद्ध हो।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में अन्वेषक तकनीकी के पद पर तैनात सी० बी० सिंह चन्देल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की मांग

109–श्री समर पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा, जनपद–बांदा में अन्वेषक तकनीकी के पद पर तैनात सी०बी०सिंह चन्देल को उनके पूर्व तैनाती स्थान जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फतेहपुर, जनपद–फतेहपुर के विकास खण्ड बहुआ में जजरहा नाला के निर्माण कार्य में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, जनपद फतेहपुर द्वारा दि० 5-12-95 को की गई जांच में वित्तीय अनियमिततायें बरतने के आरोप का दोषी पाया गया ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये गये श्री सी० बी० सिंह चन्देल, तत्कालीन अन्वेषक (तकनीकी), जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फतेहपुर सम्प्रति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा के विरुद्ध कोतवाली फतेहपुर में मु० अ० सं०–2001/धारा 467/468/469/419/420–आई० पी० सी० के अन्तर्गत दिनांक 1-5-2001 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है । उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री चन्देल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

110–श्री समर पाल सिंह–

[2सरे मंगलवार के अता० प्र० सं० 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलरामपुर में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का विभाग स्थापित करने की मांग

111–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवसृजित जनपद बलरामपुर में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का विभाग सरकार स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद–

प्रदेश की अर्थोपाय स्थिति को देखते हुए जनपद बलरामपुर में पृथक से प्रखण्ड स्थापित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में पेयजल समस्याओं संबंधी प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

112–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 2-4-2002 जो जनपद बांदा में पेयजल समस्याओं सम्बन्धी है, क्या आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल स्थान बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उक्त पत्र जनपद बांदा के जसपुरा पेयजल योजना, खपटिहा कला ग्राम समूह पेयजल योजना, बरेठी ग्राम समूह पेयजल योजना, निवाइच ग्राम समूह पेयजल योजना एवं तिन्दवारी ग्राम समूह पेयजल योजना की पेयजल समस्याओं से संबंधित है । प्रश्नगत पेयजल योजनाओं के जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति बन्द है, उनमें से 11 गांवों में पेयजल आपूर्ति चालू कराये जाने हेतु कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद बांदा में कानाखेड़ा ग्रामीण पेयजल समूह योजना को सुचारु रूप से चलवाने विषयक प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

113–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 4-4-2002 आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल के जनपद बांदा में कानाखेड़ा ग्रामीण पेयजल समूह योजना को सुचारु रूप से चलवाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 4-4-2002 आयुक्त, चित्रकूट धाम मंडल बांदा को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु समेकित योजना

114–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई समेकित पेयजल योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन कर समस्त ग्रामीण बस्तियों को आच्छादित किया जा चुका है । उपरोक्त के अतिरिक्त नलकूप एवं सतही जलश्रोतों से जल प्राप्त कर उसका शुद्धीकरण भण्डारण एवं वितरण प्रणाली द्वारा सार्वजनिक नल एवं निजी जल संयोजनों से जलापूर्ति की जा रही है ।

250 की आबादी के मानक के अनुसार प्रदेश की समस्त ग्रामीण बस्तियों को संतृप्त कर दिया गया है । गुणता प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु 40 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन के मानक पर पाइप पेयजल योजनाएं स्थापित की गई हैं ।

पेयजल योजना की लागत का 10 प्रतिशत लाभार्थी समूह का अंशदान जमा करके एवं उसके संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व वहन करने की लिखित सहमति देने पर ग्राम पंचायत को उपरोक्त मानक से अधिक जल प्राप्त करने की सुविधा चुनने का निम्नानुसार विकल्प उपलब्ध है :–

क–150 की आबादी पर एक हैण्डपम्प का अधिष्ठापन ।

ख–70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पाइप पेयजल योजना का अधिष्ठापन ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 अगस्त, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत

(व्यवधान)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और एक साथ बोलने लगे प्रदेश को अकालग्रस्त प्रदेश घोषित करने तथा नारे लगाते हुए पीठ की तरफ बढ़ने लगे ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

यह सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयीं ।)

गोण्डा मुख्यालय पर स्थापित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

1–श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, [देवीपाटन मण्डल के जनपद गोण्डा मुख्यालय पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित है । मण्डल में यह एक मात्र विद्यालय है जहां पर अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ-साथ खाना, कपड़ा, किताब, दवा, आदि की व्यवस्था है । उक्त विद्यालय में अनु० जाति के बच्चों को जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा दी जाती है । हाई स्कूल एवं इण्टर तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मण्डल में एक मात्र राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय होने के कारण अब हाई स्कूल एवं इण्टर तक का उच्चीकरण होना उक्त विद्यालय का आवश्यक है । उक्त विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का बढ़ाया जाना नितांत आवश्यक है । जो वर्तमान में बच्चों को सुविधा दी जा रही है, आज के मंहगाई के युग में बहुत ही कम है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही करने हेतु आदेश देने का कष्ट करें ।]

आजमगढ़ क्षेत्रान्तर्गत कन्धरापुर आदि क्षेत्रों में फीडरों की हालत सुधारने एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

2–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

महोदय, [इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से अवगत कराना है कि आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उ० प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा अनियमित बिजली आपूर्ति की जा रही है । विशेष रूप

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से उल्लेखनीय है कि बनकट फीडर एवं सोफीपुर फीडर एवं कन्धरापुर फीडर की हालत एकदम से जीर्ण हो गयी है । प्रायः फाल्ट हो जाता है । हफ्तों विद्युत आपूर्ति बधित होती रहती है । इस प्रचण्ड सूखे में किसानों को विद्युत की आवश्यकता है । विद्युत के अभाव में किसान एवं अन्य अपने कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । उक्त फीडरों में विद्युत आपूर्ति का समय मात्र तीन-चार घण्टे रहता है, जो इस अकाल में न के बराबर है । इस समय भीषण गर्मी भी पड़ रही है । वर्तमान परिस्थितियों में जनता को विद्युत की आवश्यकता चरम पर है, जिसके विरुद्ध उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा मात्र तीन-चार घण्टे विद्युत आपूर्ति किया जाना जनता के हितों के खिलाफ है । अतः इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त फीडरों, कन्धरापुर, बनकट और सोफीपुर की हालत सुधारने एवं 15 से 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग करता हूं और आशा करता हूं कि उक्त जनहित कार्य सदन द्वारा ध्यानाकर्षित कर विभाग द्वारा पूरा किया जाए ।]

जनपद बस्ती में गौरा चौकी से चन्द्रदीप घाट तक की सड़क पर लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

3–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, [प्राचीन काल से ही पूरी जनता पैदल, बैलगाड़ी से डुमरियागंज-चन्द्रदीप घाट मार्ग से कुआनों नदी पार कर गौरा चौकी, मसकिनवा, चौरी सिकन्दरपुर होते हुए कटरा निकल कर अयोध्या तथा उससे आगे लखनऊ, कानपुर आदि स्थानों का सफर तय करती थी । यह मार्ग राष्ट्रीय मार्ग गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ से कटरा से थोड़ा आगे उत्तर तरफ निकल कर सिकन्दरपुर–कुसमौरा घाट, मसकिनवा, गौरा चौकी, चन्द्रदीप घाट होते हुए स्टेट हाइवे सं० 26 पर भड़रिया निकलता है, इसकी दूरी 52 कि०मी० है । इसमें अधिकतम पक्की सड़क हैं, उस पर खड़ण्जा केवल गौरा चौकी से चन्द्रदीप घाट तक ही लेपन का कार्य करना है । चन्द्रदीप घाट पर सेतु निगम द्वारा पक्का पुल बन गया है । इस अति महत्वपूर्ण सड़क के बन जाने से हजारों-हजार नेपाल से सटे हुए पूरे इलाके से तथा उपरोक्त नौगढ़, शोहरतगढ़, बांसी, इटवा, डुमरियागंज के लोगों को 60 किमी० घूम कर जाने से 60 किमी० की कमी हो जाएगी । यह महत्वपूर्ण सड़क अन्य प्राचीन धार्मिक स्थलों जैसे मखक्षेत्र, मखौड़ा, श्रवणखेड़ा, स्वामी नरायन छपिया, श्रीराम की नगरी अयोध्या तक पहुंचने में अत्यन्त लाभ-प्रद होगी । आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को लोक निर्माण विभाग को भेज कर माननीय मंत्री लोक निर्माण से अनुरोध है कि या तो राज्य इसे प्रथम प्राथमिकता देकर स्वयं बनवा दे या इसे स्टेट हाइवे मार्ग घोषित करने हेतु केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली को अपनी संस्तुति के साथ भेज दें या अन्य किसी निर्माण एजेन्सी को भेज कर इस मार्ग का निर्माण कराने का कष्ट करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम नियामतपुर-सिउलक के बीच नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

4–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, [शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक आंवलखेड़ा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम नियामतपुर व ग्राम सिउलक के बीच एक बड़ी नदी का पुल बनना प्रस्तावित था, जिसकी स्वीकृति मध्यांचल पैकेज के अन्तर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में की गयी थी परन्तु अभी तक इसके लिए स्वीकृत धन की कोई किश्त नहीं भेजी गयी । ग्राम नियामतपुर व सिउलक के बीच की नदी पर पुल बनना बहुत महत्वपूर्ण है । वर्तमान में नियामतपुर से सिउलक कुरमंडा खानपुरदेहा, दरिउरा, महोलिया मुन्डी टिकरा वसिलिया जाने के लिए 20 किमी० अतिरिक्त दूरी तय करके जाना पड़ता है जिसमें आवागमन में व्यय भी अधिक होता है तथा समय की बर्बादी भी होती है । पिछली बार भी विधान सभा में यह मामला उठाया गया था तब उत्तर आया था कि धन के लिए शासनादेश मार्च, 2002 में जारी कर दिया गया है परन्तु वास्तव में धन नहीं आया है । लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त पुल का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कराने का कष्ट करें ।]

जनपद फिरोजाबाद में फर्जी पट्टों को निरस्त कर पट्टा खतौनी में दर्ज करने वाले कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

5–चौधरी बाबू लाल–

महोदय, [जनपद फिरोजाबाद की तहसील-जसराना, विकास खण्ड-एकाकी ग्राम सभा नगलाधीर में वर्ष 1987-88 में ग्राम प्रधान ने 12 पट्टे परिवार नियोजन द्वारा परगना अधिकारी की स्वीकृति के बाद दिये थे । उक्त पट्टों की खतौनी 1388 में 17 फर्जी पट्टों इन्द्राज दर्ज कर दिये थे । इसकी जानकारी पर प्रधान माधुरी ने उपजिलाधिकारी जसराना को लिखित शिकायत की तो जांच में (23-12-96) दोषी लेखपाल राजबहादुर सिंह को निलम्बित कर दिया गया है इसके बावजूद भी कुछ तहसील कर्मियों की मिलीभगत से 57 ख बनाकर जमा कर दिया गया है जिसमें 41 पट्टों को होना दर्शाया गया है । जिनके गाटा सं०–1715, 2623, 2822, 2819, 2576 है । जबकि इन नम्बरों को प्रधान द्वारा पूर्व/वर्तमान द्वारा कोई पट्टा आज तक नहीं किया गया है । मैं आपसे इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस भीषण समस्या की ओर आकर्षित करते हुए तत्काल फर्जी पट्टा खतौनी में दर्ज करने वाले कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने एवं फर्जी पट्टों को निरस्त करने की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई के कतिपय थाना क्षेत्रों में मुंहनोचवा के आतंक से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

6–श्री विश्राम सिंह यादव–

महोदय, [हरदोई जनपद के 24 थानों में मुंहनोचवा का भयंकर आतंक फैला हुआ है । गांववासी रात-रात भर सो नहीं पाते हैं । पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस गांव वालों को मारती पीटती है और

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अफवाह फैलाने का झूठा आरोप लगाकर बन्द कर देती है या रुपया लेकर झूठे आरोप लगाकर बन्द कर देती है । अतः लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

सोहास-उस्का मार्ग पर स्थित जर्जर लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

7–श्री अनिल सिंह–

मान्यवर, [सोहांस-उस्का मार्ग पर लगभग 50 गांवों का सम्पर्क मार्ग है जिस पर पिछले 30 वर्षों का पुराना लकड़ी का जर्जर पुल, जो इस समय पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है । उक्त पुल पर आवागमन का भारी दबाव रहता है । भविष्य में उक्त पुल के टूटने की सम्भावनाएं बढ़ गयी हैं जिससे कोई भी घटना घट सकती है । ऐसी स्थिति में उक्त जर्जर पुल के स्थान पर एक नया बड़ा पुल बनाये जाने की आवश्यकता है जो व्यापक जनहित में हैं । इस पर पुल बन जाने से भारी वाहनों का आवागमन जो बन्द हो गया है वह पुनः चालू हो जाएगा । अतः आपके माध्यम से मांग है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को लोक निर्माण विभाग को भेज कर माननीय लोक निर्माण मंत्री से अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर उक्त मार्ग पर ब्रिज कारपोरेशन द्वारा एक बड़े पुल का निर्माण कराने का कष्ट करें ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12-08-2002 को नियम-300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुयीं । पहली सूचना श्री उदय राज यादव आदि की है जो माननीय विधायकों के द्वारा संस्तुत किए जाने पर लगने वाले हैण्ड पम्पों के संबंध में है, को नियम–51 में परिवर्तित कर दिया गया है । दूसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की है, जो राज्य विद्युत परिषद् का निजीकरण करने तथा विद्युत सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के संबंध में है । इस सूचना को नियम–300 की अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण अग्राह्य किया जाता है ।

नियम–311 की, नियम–56 में परिवर्तित सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12-08-2002 को नियम–311 के अन्तर्गत कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुयीं । प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56, में परिवर्तित किया गया है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य-स्थगन की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 अगस्त, 2002 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुयीं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री राम किशुन, श्री मो० आजम खां (नियम–311 में प्राप्त) श्री अवधेश प्रसाद; श्री बलराम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री वसीम अहमद तथा श्री शिवपाल सिंह यादव की प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसी विषय पर सूचना श्री उदय राज (नियम–311 में प्राप्त), श्री राम विशुन आजाद तथा श्री राम लाल अकेला की है। इसी विषय पर श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री प्रमोद कुमार की सूचना है। इसी विषय पर श्री राम किशुन, श्री राम विशुन आजाद तथा श्री उदय राज की सूचना है। इसी विषय पर श्री दिनेश सिंह की सूचना है।

(किसी सदस्य के न बोलने पर)

अगली सूचना श्री मूल चन्द की रूहेल खण्ड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध आर० एस० एम० स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांध्यकालीन कक्षाएं चलाये जाने के सम्बन्ध में है।

(संबंधित सदस्य के न बोलने पर)

अगली सूचना श्री कौशल किशोर, डा० अशोक बाजपेयी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री राम गोविन्द चौधरी की पूरे प्रदेश में "मुंहनोचवा" के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

अगली सूचना डा० कौशल किशोर की प्रदेश में गन्ना मिलों द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान को न किये जाने के संबंध में है।

अगली सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की है जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सीयर तहसील बिल्थरा रोड की ग्राम सभा भुवारी में स्कूल की जमीन पर अनुसूचित जातियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है।

चूंकि कोई सदस्य पुकारे जाने पर खड़े नहीं हुए हैं, अतः सभी सूचनानएं निरस्त की जाती हैं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गई अतः अस्वीकृत हुई श्री शारदा नन्द अंचल (नियम–311 में प्राप्त), श्री रामजीत राजभर, श्री शिशुपाल सिंह यादव (नियम–311 में प्राप्त), श्री अनार सिंह दिवाकर, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री राम किशुन, श्री काशीराम।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि कृपया अपने विधायकों को शान्त कराने एवं अपने-अपने आसनों पर उन्हें वापस बुलाने का कष्ट करें।

(परन्तु कोई सदस्य सदन के फ्लोर से अपने आसन पर नहीं गये।)

इस मद पर अगले दिन चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी कृपया इस पर अपने विचार रखें या अन्य कोई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहें।

चूंकि सदन में व्यवधान के कारण संबंधित माननीय सदस्य अथवा अन्य कोई सदस्य अपने विचार नहीं रख पा रहे हैं, अतः यह चर्चा स्थगित की जाती है।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 अगस्त, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिनमें से कुछ को वक्तव्य के लिए, कुछ सूचनाओं को केवल वक्तव्य के लिए और कुछ सूचनाओं को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है पहली सूचना श्री कौशल किशोर की उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने से उपभोक्ताओं में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बीरपुर कटरा व चरेरा में भू-माफियाओं द्वारा राजस्व अभिलेखों के गायब किए जाने के संबंध में

है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत रामगंगा व बहगुल नदी पर कोलाघाट के नाम से पुल के बनाये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । चौथी सूचना श्री राम नरेश यादव व श्री विश्राम सिंह यादव की प्रदेश में मुंहनोचवा से व्याप्त आतंक के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । पांचवीं सूचना श्री उदयराज और श्री राम लाल अकेला की इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये जाने में 10 प्रतिशत धन जनता द्वारा दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । छठवीं सूचना श्री उदयराज की ग्राम लोटना, विधान सभा हिलौली, जनपद उन्नाव की 1998 से विद्युत लाइन कटी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । सातवीं सूचना चौ० बाबू लाल की जनपद आगरा में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । आठवीं सूचना श्री महबूब अली की शहर के बीचोबीच बस स्टैण्ड होने के कारण मार्ग अवरूद्ध रहने एवं दुर्घटनाओं में वृद्धि होने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । नौवीं सूचना श्री संजय गर्ग की सी०बी०सी०आई०डी० लखनऊ सेक्टर के विवेचना अधिकारी द्वारा अवैध रूप से मुकदमों में लोगों को फंसाये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । दसवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (सचिवालय प्रशासन) (अधि०) को पुनरीक्षित वेतनमान न दिए जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । ग्यारहवीं सूचना श्री छोटे लाल यादव की जनपद बलिया के थाना उभांव अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमें में साजिशन निर्दोष लोगों को फंसाये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । बारहवीं सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की जनपद एटा के श्री राम आदर्श उ० मा० विद्यालय, भांवरपुर के प्रधानाचार्य द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के गबन किए जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री शाकिर अली, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री सीताराम निषाद और श्री रामजीत राजभर की सूचनाएं अस्वीकृत की गई ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 13 तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 12 अगस्त, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

संलग्नक

(देखिये ता० प्र० सं०–13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

संख्या–1/3/96–का–4–2002

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : जून 12,2002

विषयः–सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

स्थानान्तरण सत्र 2002-2003 के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :–

(1) समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21-4-2001 के द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति के प्राविधान अभी प्रभावी हैं, अतः उक्त स्थानान्तरण नीति से आच्छादित होने वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण दिनांक 30 जून, 2002 तक पूर्ण करने का कष्ट करें ।

(2) अपरिहार्य परिस्थितियों में 30–जून–2002 के उपरान्त किये जाने वाले स्थानान्तरणों में शासनादेश दिनांक 21-4-2001 के प्रस्तर–6 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय ।

(3) अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानान्तरण नीति से विचलन का औचित्य पाये जाने पर संबंधित विभाग समय से मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने का कष्ट करें ।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

राजेन्द्र भौनवाल,

सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संख्या–1/3/96 (1)–का–4–2002, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल ।

2–प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी ।

3–निजी स्टाफ, मा० मंत्रीगण ।

4–स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।

5–सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

6–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

7–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

शुइयांदीन,

विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संख्या–1/3/96–का–4/2001

प्रेषक,

श्री भोलानाथ तिवारी,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश ।

विषय :–सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ :दिनांक 21 अप्रैल, 2001

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शासन द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए निम्नवत् स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है :–

1–सामान्यतः कोई स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा, किन्तु :–

(क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे ।

(ख) प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे ।

(ग) किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने पर या दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर प्रशासनिक आपत्ति न हो ।

(घ) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा ।

(ङ) कोई प्रतिकूल तथ्य न होने पर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह–''ग'' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकेगा ।

2–लखनऊ को छोड़कर अन्य जनपदों में जो समूह ''क'' एवं ''ख'' के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी अपनी सेवाकाल में कुल 10 वर्ष पूरी कर चुके है, को उक्त स्थानों से स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3–प्रत्येक विभाग में उक्त आधारों पर स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के 10 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए तथा जहां इस निर्धारित संख्या से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो वहां समूह–"क" एवं "ख" के लिए मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए तथा समूह "ग" एवं "घ" के लिए मा० विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायं ।

4–आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जायं किन्तु यदि अपरिहार्य कारणों से प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा० विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजित कराकर आय-व्यय में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय ।

5–समूह "ख" के कार्मिकों के स्थानान्तरण सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे ।

6–शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण यथा सम्भव 21 अप्रैल, 2001 से 15 जून, 2001 तक पूर्ण कर लिए जायं । 15 जून, 2001 के उपरान्त शासन स्तर से कोई स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे जब तक मा० विभागीय में मंत्री जी के माध्यम से मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन न प्राप्त कर लिया गया हो, इसी प्रकार समूह "ख" के अन्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा० विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह "ग" एवं "घ" के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा ।

7–यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के क्रम में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो 15 मई, 2001 तक मा० विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

8–अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त :–

(1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाए ।

(2) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो ।

(3) समूह–"क" एवं "ख" के अधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए समीपवर्ती जनपद में तैनात किया जा सकता है ।

(4) पदोन्नति के कारण स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के कार्यभार ग्रहण न करने पर उससे पदोन्नति को "फोरगो" करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र लेकर तदनुसार उसके सेवा अभिलेखों में उल्लेख कर दिया जाय ।

9–स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :–

(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि के बारे में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिये कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना कार्यभार ग्रहण कर लें, और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें । स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी ।

(2) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायें ।

(3) स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाय ।

(4) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें । यह प्रतिबन्ध आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, पी०सी०एस०, एवं पी०पी०एस० अधिकारियों पर लागू नहीं होगा ।

10–सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :–

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किये जायं । यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय । जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण-प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय ।

11–स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :–

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय । यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999" के संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय । निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर उस अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जाय ।

12–चार्ज नोट :–

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित–"क" एवं "ख" के अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए

कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बना दें, ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो ।

13–जनहित में मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे ।

14–यह स्थानान्तरण नीति, जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत् लागू रहेगी । इस नीति में विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त, मा० मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर, किया जा सकेगा ।

भवदीय,

भोला नाथ तिवारी

मुख्य सचिव ।

संख्या–1/3/96(1)-का–4–2001, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सचिव, श्री राज्यपाल ।

2–प्रमुख, सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी ।

3–निजी स्टाफ, मा० मंत्रीगण ।

4–स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।

5–सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

6–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

7–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

प्रदीप शुक्ला,

सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ख)

(देखिये अता०प्र०सं०–43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या–43 का संलग्नक

आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण

	व्यय धनराशि
वर्ष 1997-98	
1–सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत नीबू के पौधे	9,000
2–हैण्डपम्प की स्थापना	14,025
3–सम्पर्क मार्ग का उच्चीकरण सड़क से अमदेवा	4,982
वर्ष 1998-99	
कोई कार्य नहीं कराया गया	
वर्ष 1999-2000	
1–पक्की सड़क से प्राइमरी पाठशाला अमदेवा सम्पर्क मार्ग	4,700
2–वृक्षारोपण, आम की पौध	7,200
3–खड़ंजा कार्य लगूदी के नलकूप से राम निहोर के चक तक	3,055
4–ईट क्रय	14,000
5–सम्पर्क मार्ग सत्ई के घर से छबिलाल एवं राम मिलन के चक तक	4,700
6–ऊसर से छबिलाल के हाता तक गड्ढा की पटाई आदि	6,345
7–सम्पर्क मार्ग कोची मुख्य सड़क से मिश्रान के पुरवा तक मिट्टी कार्य	9,400
8–सम्पर्क मार्ग पुरवा से जंगल सड़क की ओर बीच-बीच में गड्ढा पटाई	5,405
9–सम्पर्क मार्ग सागर तलिया तक	7,191
10–बाढ़ की गड़ही से विदेशी के चक तक उच्चीकरण	9,400
वर्ष 2000-2001	
1–गोसाई वीर बाबा के निकट चबूतरा निर्माण	2,526
2–वृक्षारोपण आम एवं नीबू	15,700
3–मिश्रान के पुरवा से राजेन्द्र मिश्र के घर के आगे तक गड्ढा पटाई	9,976
4–बरगद के पेड़ से जयमाल के खेत तक निर्माण कार्य	
5–गांव से खड़ंजा से आगे पक्की सड़क तक निर्माण कार्य	8,468
6–नहर से कील्हापुर वाली तक नाली निर्माण	
7–चमरौटी, सड़क से बनकउवा के आगे तक निर्माण कार्य	7,308

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रुपये) से बढ़कर 2001-2002 में सात हजार सात सौ छप्पन करोड़ पचहत्तर लाख रुपये (7756.75 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है । राज्य का राजकोषीय घाटा भी इसी अवधि में लगभग 22.1 प्रतिशत बढ़ गया है । राज्य पर कर्जे का बोझ भी निरन्तर बढ़ रहा है । 31 मार्च, 2001 को जो कर्ज बहत्तर हजार सात सौ पैंसठ करोड़ चौंसठ लाख रुपये (72765.64 करोड़ रुपये) था वह 31 मार्च, 2002 तक बढ़कर तिरासी हजार चार सौ एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये (83401.35 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है ।

स्पष्ट है कि राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से असन्तुलित है । ऐसी गंभीर असन्तुलित वित्तीय स्थिति का बने रहना राज्य के व्यापक हित में ठीक नहीं है क्योंकि इससे विकास के कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं जनता की सामाजिक, आर्थिक विकास की आकांक्षायें अब कुंठाओं की गिरफ्त में आ चुकी हैं । हमारा यह विश्वास है कि जब तक इस असन्तुलन को दूर नहीं किया जायेगा तब तक राज्य की प्रगति एवं विकास हेतु हम सबकी प्रतिबद्धता पर संदेह का प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा ।

सूखे का अप्रत्याशित संकट–

(बजट भाषण में ''सूखे का अप्रत्याशित संकट'' हैडिंग पढ़ने पर)

* श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, इसमें कोई राहत नहीं दी गयी है । प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाय । यह बजट केवल झूठ का पुलिन्दा है । जनता को इससे कोई लेना-देना नहीं है ।

*डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, कोई राहत सूखे से नहीं दी जा रही है । यह केवल झूठ का पुलिन्दा है । इससे कोई फायदा नहीं है । किसानों को राहत दिलायी जाय । प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाय ।

(व्यवधान के मध्य)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

एक ऐसे समय में जबकि हमारा प्रदेश पहले से ही वित्तीय संसाधनों के संकट और विकास की अन्य समस्याओं से जूझ रहा था, भयंकर सूखे की विकराल समस्या भी आ खड़ी हुई है ।

(बजट भाषण पढ़ने के मध्य बजट भाषण की किताब के पन्ने फाड़कर सदस्यों द्वारा सदन में फेंके गये)

सूखे की विभीषिका से जहां खरीफ की फसल क्षतिग्रस्त हुई, वहीं खेतिहर मजदूरों के लिये रोजगार का संकट खड़ा हो गया है । पेयजल की समस्या गम्भीर होती जा रही है । साथ ही साथ जानवरों को चारा, पानी का इंतजाम भी करना है ।

राज्य सरकार सूखे की समस्या से युद्ध स्तर पर निपट रही है । रोजगार सृजन से संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं नकद धनराशि के वितरण की भी कार्यवाही की जा रही है । मंत्रि-परिषद् तथा शीर्षस्थ प्रशासनिक स्तर पर सतत् मानीटरिंग की व्यवस्था करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेरोजगार हुए लोगों को इनका पूरा लाभ मिले, परन्तु इस विकराल समस्या का निदान राज्य के स्वयं के संसाधनों से सम्भव नहीं है । अतः भारत सरकार से इस हेतु राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से पांच हजार छः सौ एक करोड़ रुपये (5601करोड़ रुपये) की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय सदस्यों के सहयोग, केन्द्रीय सरकार की सहायता व मार्गदर्शन तथा सम्बद्ध व्यक्तियों के अथक प्रयासों से हम भयंकर सूखे की इस चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर सकेंगे ।

सरकार की प्राथमिकताएं–

दिनांक 03 मई, 2002 को कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद ही मैंने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं निर्धारित की थीं, उन्हें मैं पुनः माननीय सदन के समक्ष दोहराना चाहती हूं क्योंकि न केवल यह हमारे वर्तमान शासन की नीतियों तथा कार्यक्रमों का आधार है बल्कि आज जो बजट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं उसे भी इन प्राथमिकताओं को कार्य रूप देने का सार्थक साधन बनाया गया है । मैंने प्रदेश की बागडोर हाथ में लेते ही निम्न प्राथमिकताएं तय की थीं :–

- प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त तथा विकासयुक्त वातावरण बनाना ।
- बेहतरीन कानून व्यवस्था और सर्वांगीण विकास ।
- सर्वजन के हितों का पूरा ख्याल, परन्तु दलितों, पिछड़ों, गरीब तबकों, धार्मिक अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करना और उनके उत्थान की दिशा में कार्य एवं सार्थक प्रयत्न ।
- विकास के कार्यक्रमों तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को वास्तव में दिलाना जो इन योजनाओं के लाभार्थी एवं केन्द्र बिन्दु हैं ।
- सरकारी मशीनरी की जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा संचालित कार्यक्रमों का निर्धारित अवधि में पूरा कराना ।
- अनुत्पादक व्यय एवं फिजूलखर्ची में कमी तथा उत्पादक कार्यों के लिये पर्याप्त धनराशि का जुटाना । राजस्व की वसूली, जिनमें कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व शामिल है, की ओर पूरा ध्यान दिया जाना ।
- कठोर वित्तीय अनुशासन की स्थापना ताकि विकास एवं जन कल्याण के कार्यक्रम कुप्रभावित न हों ।
- अपने विशाल प्रदेश की जनसंख्या को उत्पादक रोजगार के साधन उपलब्ध कराना एवं प्रदेश के उद्योगीकरण को विशेष महत्व देना ।
- अप्रवासी भारतीय तथा निजी पूंजी निवेश को उत्तर प्रदेश में निवेशपरक वातावरण बनाकर उद्योग लगाने हेतु आमंत्रित करना ।
- सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की ओर विशेष ध्यान दिया जाना ।
- किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम दिलाने तथा अवशेष बकायों के भुगतान के लिये ठोस कार्यवाही ।
- खेतिहर मजदूरों तथा बुनकरों के कल्याण के लिये संचालित कार्यक्रमों को प्रभावी ढ़ंग से लागू कराना ।

46–गांधीग्राम बहादुरपुर से रघुराजनगर बाजार से ग्राम कटरा तक मिट्टी/पुलिया	पूर्ण
47–अम्बेडकर ग्राम जैटवा में सम्पर्क मार्ग का निर्माण	पूर्ण
48–बलेश्वरगंज जयकितीसिंह का पुरवा जमुनहा तक मिट्टी/पुलिया/सोलिंग	अपूर्ण
49–करनीपुर ग्राम सभा चौडवा होते हुए रोजा टिकरी तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
50–वजीरगंज खिरिया मजगवां बाजार तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
51–रोजा टिकरी मार्ग से अम्बेडकर ग्राम जटाशंकर पुरवा मिट्टी/पुलिया/सोलिंग	पूर्ण
52–बलेश्वरगंज बाजार से गोपालपुरवा भगोहर मार्ग तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
53–अजबनगर से चौकी तक मिट्टी/पुलिया/खड़ण्जा निर्माण	पूर्ण
54–परसापुर थनवा नरायनपुर के किमी० 3 में अवशेष भाग पर मिट्टी/पुलिया	पूर्ण
55–गढ़ी से लालपुर पर सोलिंग कार्य	पूर्ण
56–मसकनवा खारीबावली से ऐलनग्रन्ट तक मिट्टी पुलिया	पूर्ण
57–दुर्जनपुर चौराहे से देवीनगर वाया शिवदत्त सिंह के फार्म तक सोलिंग निर्माण	पूर्ण
58–दुर्जनपुर चौराहे से मटहा फार्म तक मिट्टी/पुलिया/खड़ण्जा	पूर्ण
59–दुर्जनपुर से गढ़ी तक मिट्टी/पुलिया/सोलिंग	अपूर्ण
60–परसहना में खारी बावली खडौवा मार्ग पर [illegible] मिश्र के बगल तक मिट्टी/पु०/ख०	पूर्ण
61–मनकापुर मसकनवा मार्ग पर लड्डू सिंह फार्म पर लेपन कार्य	अपूर्ण
62–जगन्नाथपुर मार्ग से गोपालपुर से सुमेरपुर होते हुए ककरघटा ग्राम मिट्टी/पुलिया/सोलिंग	अपूर्ण
63–झिलाही केबिन से पिकौरा मार्ग तक मि०/पु०	अपूर्ण
64–मनकापुर नवाबगंज करौदी सम्पर्क मार्ग पर मि०/पुलिया/पत्थर/सोलिंग	पूर्ण
65–मनकापुर सादुल्लानगर रोड से ग्राम सभा मनकापुर तक मिट्टी/ख०	पूर्ण
66–पिकौरा रेलवे क्रासिंग से कंशापुरवा गांव तक मिट्टी/पुलिया	पूर्ण
67–छपिया गारा मार्ग से स्वामी नरायन इं० कालेज तक मिट्टी/पुलिया/सोलिंग	पूर्ण
68–पायर खास मार्ग से हरैया मार्ग तक मिट्टी/पुलिया/सोलिंग	अपूर्ण
69–गौरा चौकी मार्ग से गायघाट तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
70–रमदत्त शिव मन्दिर से मिश्ररौलिया होते हुए चटकनवा तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
71–मसकनवा से दरियापुर सुरवार बुजुर्ग तिराहे से पेडरिया तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

72–शीतलगंज से कटरा मार्ग पर पायर खास मार्ग सैजलपुर होते हुए शलज तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
73–शीतलगंज पक्की सड़क से राजकुमार पुरवा से औरा तादा तक खड़ण्जा	अपूर्ण
74–शाहनगर से हरखपुर जगदीप घाट तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
75–सम्पर्क मार्ग छपिया गादहा से भटुवा उल्लाह तक मिट्टी/सोलिंग	अपूर्ण
76–अम्बेडकर ग्राम बीरपुर से दुल्लापुर जू०हा० स्कूल चारु होते हुए ग्राम चारु तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
77–धर्मदास बाबा कुट्टी के पूरब ताबेपुर होते हुए टिकरदेव गांव पिच रोड तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
78–फूलपुर से परसा उदयकर मार्ग के पश्चिम छोर से सिसवा तक मिट्टी/पुलिया/ईट सोलिंग	अपूर्ण
79–मसकनवा से कटरा मार्ग पर पटखौली सरहद से औरा तोदा तक खड़ण्जा निर्माण	पूर्ण
80–ग्राम पंचायत सुरवार खुर्द में खड़ण्जा निर्माण	अपूर्ण
81–बभनान से घारीघाट के किमी के अन्तर्गत ग्राम मझरैती तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
82–सम्पर्क मार्ग छपिया गौरा पाण्डेय से गौरा मण्डप तक मिट्टी/पुलिया/खड़ण्जा	अपूर्ण
83–डडवा से हरैया बभनानडीह तक मिट्टी/पुलिया/खड़ण्जा	पूर्ण
84–यादवपुरवा से काली स्थान होते हुए बभनान तक मिट्टी/पुलिया/सोलिंग	अपूर्ण
85–मसकनवा पेट्रोल पम्प से दक्षिण पक्की सड़क के मध्य से चुरिहारपुर तक मिट्टी/पुलिया/सोलिंग	पूर्ण
86–फूलपुर उदयकर से खम्हरियापुर तक मिट्टी/पुलिया/सोलिंग	पूर्ण
87–सम्पर्क मार्ग महराजगंज से कोटखास से बिछिया बहुवान मार्ग तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
88–सम्पर्क मार्ग गोण्डा बभनान राज मार्ग से ग्राम खम्हरिया बुर्जुग तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
89–बभनान से महराजगंज मार्ग पर पृथ्वीनाथ से नतौरा तक मिट्टी/पुलिया	पूर्ण
90–बभनान बेल्हरी मार्ग से बेल्हरी खुर्द तक मिट्टी/पुलिया	पूर्ण
91–मकोइया महराजगंज ग्रन्ट मार्ग पर तिलइया ग्राम तक मिट्टी/पुलिया	पूर्ण
92–मछली खोरी मसकनवा मार्ग से औरा तोदा ग्राम तक मिट्टी/पुलिया	पूर्ण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

93–मकोइया महराजगंज ग्रन्ट मार्ग से पिपरा तप्पा कोट पर मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
94–गोरा मण्डप मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण	पूर्ण
95–बभनान गोण्डा मुख्य मार्ग से ग्राम बहुर तक मिट्टी/पुलिया	अपूर्ण
96–बभनान महराजगंज मार्ग पर शिव मन्दिर कोट खास से शिव मन्दिर होते हुए गांव तक मिट्टी/पुलिया/सोलिंग	पूर्ण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 376 विधान सभा (634)–2002–813 प्रतियां ।